36

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

[प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन]

छत्तीसवां प्रितवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

[प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन]

माननीय अध्यक्ष को 05.09.2022 को प्रस्तुत किया गया

माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा द्वारा 12.10.2022 को देखा गया

लोक सभा में 08.12.2022 को प्रस्तुत किया गया

राज्य सभा के पटल पर 08.12.2022 को रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय-सूची		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2019-20)		iv
समिति की संरचना (2021-22)		v
समिति की संरचना (2022-23)		Vi
प्राक्कथन	प्रतिवेदन	1
भाग – एक	व्याख्यात्मक टिप्पणी	1
एक.	परिचय	1
दो.	पीएमकेवीवाई के घटक और विशेषताएं	2
तीन.	वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन	6
चार.	प्रभाव मूल्यांकन	9
पांच.	पीएमकेवीवाई 2.0	10
छह.	पीएमकेवीवाई 3.0	14
सात.	चुनौतियां/बाधाएं	16
	i. सीएसएसएम घटक के तहत चुनौतियां	16
	ii. उद्योग द्वारा सूचित चुनौतियां	18
	iii. अन्य मुद्दे/चुनौतियां	19
आठ.	राज्य/जिला स्तरीय दायित्व	23
नौ.	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेकेएस) और स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई)	25
दस.	योजना के तहत प्लेसमेंट	29
ग्यारह.	अभिसरण	36
बारह.	कौशल अंतराल अध्ययन	42
तेरह.	क्षमता वृद्धि और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग	45
चौदह.	निगरानी	51
पंद्रह.	पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए तैयारी	53
भाग – दो	टिप्पणियां/सिफारिशें	55-67
	अनुबंध	
अनुबंध एक	समिति (2019-20) की 03 अक्टूबर, 2019 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
अनुबंध दो	समिति (2021-22) की 21 जुलाई, 2022 को हुई बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
अनुबंध तीन	समिति (2021 -22) की 22 अगस्त, 2022 को हुई चौबीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	

<u>श्रम संबंधी समिति की संरचना</u>

(2019-20)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री जॉन बर्ला
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री दयाकर पसुनूरी
7. श्री फिरोज़ वरुण गांधी
8. श्री सतीश कुमार गौतम
9. श्री बी.एन. बचेगौडा
10. डॉ. उमेश जी. जाधव
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
14. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
15. श्री के. नवासखनी
16. श्री खलीलुर रहमान
17. श्री डी. रविकुमार
18. श्री नायब सिंह सैनी
19. श्री गणेश सिंह
20. श्री भोला सिंह
21. श्री के. सुब्बारायण

<u>राज्य सभा</u>

22. श्री ऑस्कर फर्नांडिस
23. श्री इलामारम करीम
24. डा. रघुनाथ महापात्र
25. डा. बांडा प्रकाश
26. श्री राजाराम
27. सुश्री दोला सेन
28. श्री एम. शनमुगम
29. श्री दुष्यंत गौतम
30. श्री विवेक ठाकुर
31. श्री नीरज डांगी

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की संरचना

(2021-22)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री डी. रविकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री दयाकर पसुनूरी
7. श्री फिरोज वरुण गांधी
8. श्री सतीश कुमार गौतम
9. श्री बी.एन. बचेगौडा
10. डॉ. उमेश जी. जाधव
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. श्री पकौड़ी लाल कोल
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
14. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
15. श्री खलीलुर रहमान
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री इलामारम करीम
25. सुश्री दोला सेन
26. श्री एम. शनमुगम
27. श्री विवेक ठाकुर
28. श्री विजय पाल सिंह तोमर
29. रिक्त
30. * रिक्त
31. ** रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती	-	निदेशक
3. श्री आदित्य रुंथाला	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

*श्री बांडा प्रकाश द्वारा 04.12.2021 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त।

** श्री दुष्यंत गौतम द्वारा 01.08.2022 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त।

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का गठन

(2022-23)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री फिरोज वरुण गांधी
6. श्री सतीश कुमार गौतम
7. श्री बी.एन. बचेगौडा
8. डॉ. उमेश जी. जाधव
9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
11. श्री पकौड़ी लाल कोल
12. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
13. श्री दयाकर पसुनूरी
14. श्री खलीलुर रहमान
15. श्री डी. रविकुमार
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री आर. धरमार
25. प्रो. मनोज कुमार झा
26. श्री इलामारम करीम
27. सुश्री दोला सेन
28. श्री एम. शनमुगम
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री बिनोय विस्वम

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती - निदेशक
3. श्री आदित्य रुंथाला - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन' संबंधी यह छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति **(2019-20)** ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का 03.10.2019 को मौखिक साक्ष्य लिया। समिति **(2021-22)** ने भी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का **21.07.2022** को मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने 22 अगस्त, 2022 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. समिति कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को इस विषय की जांच के संबंध में साक्ष्य देने और समिति द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
25 अगस्त, 2022
3 भाद्रपद, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब,
सभापति,
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

परिचय

किसी भी देश के लिए कौशल और ज्ञान आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होते हैं। कौशल स्तर के उच्च और बेहतर मानकों वाले देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जॉब मार्केट में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं। भारत, विश्व की सबसे युवा आबादी में से एक, ऐसे कार्यबल के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त कर सकता है जो 'नियोजनीय' कौशल में प्रशिक्षित है और उद्योग के लिए तैयार है, इस क्षमता को विकास के लिए एक सकारात्मक शक्ति में उपयोग करना, दुनिया की कौशल राजधानी बनने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है।

2. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **15** जुलाई **2015** को कौशल विकास और उद्यमशीलता **2015** के लिए राष्ट्रीय नीति प्रारम्भ की गई थी। यह नीति सफल कौशल कार्यनीति की कुंजी के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस नीति का दृष्टिकोण उद्यमशीलता आधारित नवोन्मेष की संस्कृति को, तीव्र गति और उच्च मानकों के साथ विशाल पैमाने पर कौशलीकरण के साथ उन्नत करने के लिए सशक्तिकरण परिवेश निर्मित करना है, जिससे धन और रोजगार का सृजन हो सके और देश के सभी नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित हो सके।

3. यह इस दृष्टिकोण पर आधारित था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में

भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद करेगा। पूर्व अधिगम अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और योजना के पूर्व अधिगम घटक की पहचान के तहत प्रमाणित किया जाता है।

4. सृजित कुशल जनशक्ति और सृजित रोजगार के संदर्भ में मंत्रालय की प्रमुख योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से समिति ने इस विषय को जांच और रिपोर्ट हेतु लिया। इस प्रक्रिया में, समिति ने उनके मौखिक साक्ष्य लेने के अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से पृष्ठभूमि सामग्री और साक्ष्य पश्च लिखित उत्तर प्राप्त किए। मंत्रालय के लिखित और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर, समिति ने विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया है, जैसा कि समिति की विचारित टिप्पणियों/सिफारिशों को बाद के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

दो. <u>पीएमकेवीवाई के घटक और विशेषताएं</u>

5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को **2015** में प्रायोगिक स्कीम के रूप में शुरू किया गया था ताकि देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा सके और युवाओं को कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित किया जा सके। इसके प्रायोगिक चरण के दौरान, देश भर में लगभग **19.85** लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इस योजना को एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, क्षेत्र कौशल परिषदों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

6. मंत्रालय ने अवगत कराया कि इसके कार्यान्वयन के सफल पहले वर्ष के कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमकेवीवाई **2.0 (2016-20)** के तहत **12,000** करोड़ रुपये के

परिव्यय के साथ देश के **1** करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अगले चार वर्षों के लिए योजना को मंजूरी दे दी थी। **30.06.2022** की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई **2.0** के तहत, देश भर में लगभग **110.01** लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया था। पीएमकेवीवाई **(2016-2020), 2** अक्टूबर **2016** को शुरू की गई थी और यह एक अनुदान-आधारित योजना थी, जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए **1800** से अधिक नौकरी भूमिकाओं में मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती थी। इस योजना को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) में केंद्र प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम); विशेष परियोजनाएं और पूर्व शिक्षण की मान्यता घटकों (आरपीएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

7. इस योजना के दो प्रमुख घटकों को निम्नवत बताया गया था:-

केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) (केंद्रीय घटक):

यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया जाता है। यह निम्नलिखित को संस्थापित करता है:

i. अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)- स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों या बेरोजगारों को पीएमकेवीवाई से संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों पर **200** से **500** घंटे के कौशल उन्मुख प्रशिक्षण, कोर और सॉफ्ट दोनों का प्रावधान।

ii. पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)- उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई प्रमाण पत्र के प्रावधान द्वारा **12** से **80** घंटे के उन्मुखीकरण सह ब्रिज कोर्स के पश्चात मौजूदा कौशल को मान्यता।

iii. विशेष परियोजनाएं (एसपी) विशेष परियोजना पीएमकेवीवाई का घटक है जिसमें एनएसक्यूसी अनुमोदित जॉब रोल्स में उम्मीदवारों को लघु/नवीन अवधि के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। विशेष परियोजनाएं पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक से भिन्न होती हैं, क्योंकि

यह परियोजना/आवश्यकता होने के कारण अनुपालन के मामले में अधिक लचीलेपन के साथ होती है जिसे दूरदराज के क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों के सफल प्रशिक्षण के लिए पूर्ण करना कठिन होता है।

केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) (राज्य घटक):

पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक को **09.11.2016** को राज्यों के सम्मिलित के दिशानिर्देश जारी करने के साथ शुभारंभ किया गया था। यह घटक राज्य कौशल विकास मिशनों/राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत, **36** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के मूल्यांकन के पश्चात, मंत्रालय ने कुल **20.18** लाख उम्मीदवारों के लक्ष्य और इसके अनुरूप वित्त वर्ष **2016-20** के लिए **3,050** करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं;

- सहयोग और अनुवीक्षण से इन पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
- राज्य विशिष्ट आर्थिक कार्यकलापों के लिए कौशल संबंधी आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए राज्यों को बेहतर स्थिति में रखा गया है। उनकी भागीदारी विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण अभिग्रहण करने में सक्षम होगी जो स्थानीय मांग और आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं।
- यह मौजूदा राष्ट्रव्यापी कौशल विकास प्रणाली की क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि करेगा और इस प्रकार सभी के लिए समान पहुच में सहयोग करेगा।
- यह राज्य विशिष्ट पारंपरिक कौशल के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल को सहयोग प्रदान करेगा।

9. योजना के तीन संस्करणों की विशिष्ट विशेषताओं को प्रदान करने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

क्रम सं.	**पीएमकेवीवाई 1.0**	**पीएमकेवीवाई 2.0**	**पीएमकेवीवाई 3.0**

1	केंद्र द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित	केंद्र द्वारा वित्त पोषित और केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कार्यान्वित	केंद्र द्वारा वित्त पोषित और केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कार्यान्वित।
2	नॉन-प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम	कुल पे-आउट का **20%** प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है	कुल पे-आउट का **30%** प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है
3	प्रत्यक्ष बैंक स्थानांतरण वाले उम्मीदवारों को मौद्रिक पुरस्कार	कोई जिला स्तरीय संस्थागत ढांचा नहीं	जिला कौशल समितियों (डीएससी) की स्थापना
4	प्रशिक्षण इको सिस्टम विकसित करने पर जोर	केवल केंद्रीय घटक के रूप में आरपीएल और विशेष परियोजनाएं	आरपीएल और विशेष परियोजनाएं केवल केंद्रीय और राज्य दोनों घटकों के रूप में।
5	**-**	गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष योजना	आईटीआई और शिक्षण संस्थानों में एसटीटी को अनुमति
6	**-**	**-**	कोविड योद्धाओं और कौशल हब पहल **(SHI)** के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स प्रोगाम जैसी विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं

7	**19.86** लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख	**1.10** करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख	**6.74** लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख

तीन. वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन

10. जहां तक पीएमकेवीवाई के समग्र भौतिक और वित्तीय निष्पादन के ब्यौरे का संबंध है, समिति को सारणीबद्ध प्रारूप में निम्नलिखित सूचना दी गई थी:-

क. वास्तविक कार्य निष्पादन:

घटक	प्रशिक्षण प्रकार	नामांकित	प्रशिक्षित / उन्मुख	आकलित	प्रमाणित	नियोजन रिपोर्ट
केंद्रीय घटक (सीएससीएम)	एसटीटी	**62,52,105**	**58,49,787**	**55,20,653**	**46,64,770**	**20,97,224**
	एसपी	**3,47,393**	**3,22,046**	**2,78,279**	**2,06,356**	**86,634**
	आरपीएल	**66,32,410**	**65,00,171**	**57,27,750**	**53,65,269**	लागू नहीं
कुल सीएससीएम		**1,32,31,908**	**1,26,72,004**	**1,15,26,682**	**1,02,36,395**	**21,83,858**
राज्य घटक (सीएससीएम))	एसटीटी	**9,32,191**	**8,89,348**	**7,83,036**	**6,92,664**	**2,29,907**
	एसपी	**13,752**	**13,432**	**11,482**	**7,847**	**2,845**
	आरपीएल	**87,800**	**86,227**	**60,350**	**53,255**	**NA**
सीएससीएम		**10,33,743**	**9,89,007**	**8,54,868**	**7,53,766**	**2,32,752**
महायोग		**1,42,65,651**	**1,36,61,011**	**1,23,81,550**	**1,09,90,161**	**24,16,610**

ख. वित्तीय निष्पादन:

वित्तीय वर्ष	पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के लिए वित्तीय प्रगति			
	बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)	% व्यय.
2016-17	**1,100.00**	**1,249.99**	**699.99**	**56.00%**
2017-18	**1,300.00**	**1,723.19**	**1,719.08**	**99.76%**
2018-19	**1,984.34**	**1,946.45**	**1,909.19**	**98.09%**
2019-20	**2,116.00**	**1,749.22**	**1,613.26**	**92.23%**
2020-21	**1,350.50**	**1,534.39**	**1,514.76**	**98.72%**
2021-22	**1,438.00**	**1,438.00**	**1,043.21**	**72.55%**
योग	**9,288.84**	**9,641.24**	**8,499.49**	

11. मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने नियोजन के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत खराब निष्पादन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और इसके लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"सर, दूसरा पॉइंट आया है कि स्किल ट्रेनिंग के बाद कोई बच्चा खाली न घूमे, चाहे वह स्वरोजगार में ही जाए। यदि उसको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। उसको अप्रेन्टिसशिप या नौकरी मिल जाए। इसके लिए हमने अभी हर महीने दो सौ जिलों में, बाई रोटेशन अप्रेन्टिस और रोजगार मेले भी चालू किए हैं। इन तीनों स्कीम्स में लोन के साथ कोशिश कर रहे हैं और कई जगह एनबीएफसी के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। कई बार बैंक्स कोलैटरल की डिमांड करते हैं, लेकिन बच्चे

कोलैटरल नहीं दे पाते हैं। कई जगहों पर हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। हम उनका भी डेटा इकट्‌टा कर लेंगे।"

12. पीएमकेवीवाई के तहत आवंटित बजट की तुलना में निधि उपयोग के निम्न स्तर के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पीएमकेवीवाई के लिए वित्त वर्ष-वार आवंटन के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्कीम दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधान के अनुसार व्यय किया गया था।

1,174.48 करोड़ रुपए का उपयोग पीएमकेवीवाई **1.0 (2015-16)** के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। पीएमकेवीवाई **2.0 (2016-20)** और पीएमकेवीवाई **3.0 (2020-22)** के कार्यान्वयन के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)		कुल योग (करोड़ रुपए में)
		पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20)	पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22)	
2016-17	**1249.99**	**699.99**	**-**	**699.99**
2017-18	**1723.19**	**1719.08**	**-**	**1719.08**
2018-19	**1946.45**	**1909.19**	**-**	**1909.19**
2019-20	**1749.22**	**1613.26**	**-**	**1613.26**
2020-21	**1534.39**	**1492.73**	**22.03**	**1514.76**
2021-22	**1438.00**	**379.22**	**663.99**	**1043.21**
कुल	**9641.24**	**7813.47**	**686.02**	**8499.49**

चूंकि पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) 2 अक्तूबर 2016 को शुरू की गई थी, पहले वित्त वर्ष के दौरान किया गया व्यय कम था। हालांकि, बाद के वर्षों में किए गए व्यय में सुधार हुआ। कोविड 19 के कारण लगाए गए प्रतिबंध, पीएमकेवीवाई 2.0

और पीएमकेवीवाई 3.0 स्कीम के संचालन को निलंबित कर दिया जिसके कारण नामांकन और प्रमाणन की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान नए बैचों/उम्मीदवारों के लिए निधि का कम आबंटन और उपयोग हुआ है। पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण अभी भी जारी है और प्रशिक्षण पूरा होने पर व्यय बढ़ने की उम्मीद है।"

13. समिति ने निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि:-

"निधियों उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, पीएमकेवीवाई के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- आबंटित वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (एनएसडीसी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, ताकि अधिकतम निधि का उपयोग किया जा सके।
- स्कीम दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधान के अनुसार जारी की गई निधि के प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की और व्यापक नीति निर्देशों के साथ निर्देशित किया।
- डीओ के माध्यम से नियमित संचार पत्र, का. ज्ञा., ई-मेल पर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दूरभाष पर बातचीत।

चार. <u>प्रभाव मूल्यांकन</u>

14. जहां तक योजना के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के प्रभाव मूल्यांकन का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया कि:-

"पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित उम्मीदवारों की औसत मासिक आय में 15% की वृद्धि। 76% उम्मीदवारों ने एक और रोजगार पाने की संभावना को अच्छा या बहुत अच्छा माना। पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित प्रतिपुष्टिदाताओं में से 88% ने अपने

वर्तमान रोजगार में काम करने की उनकी क्षमता को अच्छा या बहुत अच्छा बताया।"

15. इसके अलावा, इस योजना के पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में, समिति को निम्नवत बताया:-

> "पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित उम्मीदवारों की औसत मासिक आय में 19% की वृद्धि। प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट किए गए आरपीएल कार्यक्रम का मुख्य लाभ आत्मविश्वास में वृद्धि (79%) था, इसके बाद तकनीकी ज्ञान में सुधार (51%) और सॉफ्ट स्किल्स में (41%) सुधार हुआ। पीएमकेवीवाई प्रमाणित नियोजित उम्मीदवारों में से 75% सहमत या दृढ़ता से सहमत थे कि पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने उन्हें अपने वर्तमान रोजगार के लिए और अधिक तैयार होने में सहायता की है। आरपीएल प्रमाणित प्रतिपुष्टिदाताओं में से 79% ने सहमति व्यक्त की या दृढ़ता से सहमति व्यक्त की कि कार्यक्रम ने बेहतर रोजगार पाने में उनके आत्मविश्वास में सुधार किया है।"

पांच. <u>पीएमकेवीवाई 2.0</u>

16. जहां तक पीएमकेवीवाई 2.0 के उद्देश्यों का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नानुसार अवगत कराया कि:-

- **i.** 200-300 घंटे के छोटे पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूल छोड़ने वालों, कॉलेज छोड़ने वालों और बेरोजगार युवाओं को नए सिरे से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **ii.** कौशल प्रमाणन के माध्यम से वर्तमान कार्य बल के उपलब्ध कौशल को पहचानना।
- **iii.** राज्यों के क्षमता विकास के लिए अग्रणी योजना के कार्यान्वयन में राज्यों को शामिल करना।
- **iv.** उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण के संरेखण के साथ-साथ प्रशिक्षण अवसंरचना की बेहतर गुणवत्ता।

v. प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहित करें और कौशल की रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।"

17. जहां तक पीएमकेवीवाई 2.0 के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

क. पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत भौतिक निष्पादन:-

घटक	प्रशिक्षण के प्रकार	नामांकित	प्रशिक्षित/ उन्मुख	आकलित	प्रमाणित	नियोजन रिपोर्ट
केंद्रीय घटक (सीएससीएम)	एसटीटी	**41,08,732**	**38,11,857**	**35,87,273**	**32,07,845**	**18,23,958**
	एसपी	**2,32,554**	**2,13,844**	**1,82,741**	**1,54,272**	**83,961**
	आरपीएल	**62,72,669**	**61,41,870**	**54,08,281**	**51,20,070**	लागू नहीं
कुल सीएससीएम		**1,06,13,955**	**1,01,67,571**	**91,78,295**	**84,82,187**	**19,07,919**
राज्य घटक (सीएससीएम)	एसटीटी	**8,63,887**	**8,26,458**	**7,35,861**	**6,51,438**	**2,21,951**
	एसपी	**6,882**	**6,787**	**6,079**	**5,040**	**2,845**
कुल सीएसएसएम		**8,70,769**	**8,33,245**	**7,41,940**	**6,56,478**	**2,24,796**
सकल योग		**1,14,84,724**	**1,10,00,816**	**99,20,235**	**91,38,665**	**21,32,715**

ख. पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत वित्तीय निष्पादन (30/06/2022 की स्थिति के अनुसार)

कैबिनेट नोट के अनुसार स्वीकृत धनराशि (करोड़ रूपए में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये में)	प्रति इकाई लागत
12,000.00	7813.47	7,285.16*	15,195 रुपये (एसटीटी)
			4,000 रुपये (आरपीएल)

*54 करोड़ रुपये भारत की संचित निधि में वापस समेकित किए गए

18. पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान अनुभव की गई विशिष्ट बाधाओं/कमियों/बाधाओं और पीएमकेवीवाई 3.0 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए ठोस और उपचारात्मक उपायों के साथ-साथ आगामी पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन के लिए तैयारियों के बारे में बताने के लिए कहा गया तो, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया कि: -

"पीएमकेवीवाई **1.0** और पीएमकेवीवाई **2.0** को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान अनुभव की गई विशिष्ट बाध्यताओं/कमियों/बाधाओं और पीएमकेवीवाई **3.0** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:-

घटक	पीएमकेवीवाई 1.0 और 2.0 की चुनौतियां	पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन में उपचारात्मक उपाय
प्रशिक्षण लक्ष्य का आवंटन	आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण	मांग प्रेरित दृष्टिकोण
पीएमकेवीवाई **3.0** योजना और कार्यान्वयन	कार्यान्वयन और योजना बनाने में राज्य सरकार की भूमिका कम थी	जिला कौशल समितियों और (डीएससी) राज्य कौशल विकास मिशनों :की प्रमुख भूमिका (एसएसडीएम) योजना बनाने से जुटाव/ प्रशिक्षण से लेकर नियोजन तक
आँकलन और प्रमाणन	आँकलन और प्रमाणन केवल एसएससीके माध्यम से होता था	एसएससी से भिन्न एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के माध्यम से
प्रशिक्षण लक्ष्य का विभाजन	केंद्र और राज्य के बीच **75:25** का अनुपात	प्रदर्शन के आधार पर राज्य और केंद्र के बीच लक्ष्य के गतिशील आवंटन का प्रावधान
नियोजन पर फोकस	नियोजन के लिए सीमित पैरामीटर ➢ कुल भुगतान	नियोजन के बाद सहायता और नियोजन पेआउट पैरामीटर बढ़ाए गए -हैं।

	20 प्रतिशत नियोजन से जुड़ा हुआ है	➢ नियोजन से जुड़े कुल पे-आउट का 30%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	कुशल उम्मीदवारों को प्रमाणित करने के दायरे को सीमित करने वाले आरपीएल में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है।	आरपीएल को राज्य घटक में शुरू किया गया था। इस प्रकार, केंद्र और राज्य दोनों घटकों के तहत क्रमशः एनएसडीसी और एसएसडीएम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
विशेष परियोजनाएं	राज्य घटक में (सीएसएसएम) कोई विशेष परियोजना नहीं है।	राज्य घटकों (सीएसएसएम) के तहत विशेष परियोजनाओं का (सीएसएसएम-एसटीटी लक्ष्य के 15% तक) प्रावधान किया गया है
मिश्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल	उम्मीदवारों का ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।	प्रशिक्षण का ऑनलाइनमिश्रित रूप / पेश किया गया।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई के पूर्ववर्ती संस्करणों के अनुभव के आधार पर, पीएमकेवीवाई के अगले संस्करण की परिकल्पना 'एक पद्धति सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती' के आधार पर की गई है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि उद्योग कौशल इकोसिस्टम का अंतिम उपभोक्ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि पीएमकेवीवाई को निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ मांग और आपूर्ति दोनों में विशिष्ट समूहों को लक्षित करने के लिए पुनः संरेखित किया जाए।

- उम्मीदवार केंद्रित कार्यक्रम।
- उद्योग/नियोक्ता खरीद-फरोख्त और कौशल के लिए योगदान।
- अल्प अवधि के प्रशिक्षण में जॉब प्रशिक्षण और रोजगार कौशल पर सन्निहित करना।
- पुनः कौशलीकरण, कौशल उन्नयन और आरपीएल पर बल।
- प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय पूल।

- कुछ पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल/मिश्रित रीति।
- पारंपरिक और अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध क्षेत्र, हस्तशिल्प आदि) की आवश्यकता को पूरा करना।

छह. पीएमकेवीवाई 3.0

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीएमकेवीवाई **3.0** पीएमकेवीवाई **2.0 (2016-20)** का संशोधित संस्करण है। पीएमकेवीवाई **3.0** को **15** जनवरी **2021** को अनुमोदित और लॉन्च किया गया। पीएमकेवीवाई **3.0** में प्रशिक्षण के **3** घटक अर्थात, एसटीटी; विशेष परियोजनाएं और आरपीएल हैं।

20. पीएमकेवीवाई **3.0** के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी है:-

क. भौतिक निष्पादन:

घटक	प्रशिक्षण का प्रकार	नामांकित	प्रशिक्षित/इच्छुक	मूल्यांकित	प्रमाणित	प्राप्त
केन्द्रीय घटक (सीएससीएम)	एसटीटी	**3,39,167**	**2,33,724**	**1,59,881**	**1,24,446**	**19,970**
	एसपी	**1,14,839**	**1,08,202**	**95,538**	**52,084**	**2,673**
	आरपीएल	**1,77,931**	**1,76,491**	**1,41,481**	**1,26,042**	उपलब्ध नहीं
सीएससीएम कुल		**6,31,937**	**5,18,417**	**3,96,900**	**3,02,572**	**22,643**
राज्य घटक (सीएससीएम)	एसटीटी	**68,304**	**62,890**	**47,175**	**41,226**	**7,956**
	एसपी	**6,870**	**6,645**	**5,403**	**2,807**	**0**
	आरपीएल	**87,800**	**86,227**	**60,350**	**53,255**	उपलब्ध नहीं
सीएसएसएम कुल		**1,62,974**	**1,55,762**	**1,12,928**	**97,288**	**7,956**
कुल योग		**7,94,911**	**6,74,179**	**5,09,828**	**3,99,860**	**30,599**

ख. वित्तीय निष्पादन **(30/06/2022** तक**)**

अनुमोदित निधि (ईएफसी के अनुसार) (करोड़ रुपये में)	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये में)	प्रति इकाई मूल्य
948.49	**686.02**	**294.98**	**22,770** रु.* (एसटीटी) **2,888** रु. (आरपीएल)

*<u>नोट:</u> औसत लागत में पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत नए जोड़े गए प्रावधान/प्रोत्साहन जैसे कि उम्मीदवारों के लिए एकबारगी प्लेसमेंट यात्रा लागत, कैरियर प्रगति सहायता, विदेशी प्लेसमेंट के लिए विशेष प्रोत्साहन, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को अतिरिक्त सहायता, अंग्रेजी रोजगार योग्यता और उद्यमिता (ईईई) मॉड्यूल, मोबाइल ट्रैकिंग भत्ता, एईबीएएस को भुगतान, प्रशिक्षक का प्रशिक्षण शुल्क, मूल्यांकनकर्ता का प्रशिक्षण शुल्क आदि शामिल नहीं है।

21. पीएमकेवीवाई **3.0** की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"**i.** बॉटम-अप दृष्टिकोण के साथ मांग आधारित योजना।

ii. जिला कौशल समिति (डीएससी) पीएमकेवीवाई **3.0** के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होगा।

iii. सामान्य लागत मानदंडों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप योजना।

iv. प्रशिक्षण प्रदाताओं का भुगतान किश्तों में विभाजित है अर्थात प्रशिक्षण बैचों के आरंभ में **30%**, सफल प्रमाणन पर **40%** और प्लेसमेंट सत्यापन पर **30%** ।

v. अन्य प्रोत्साहन जैसे बोर्डिंग और लॉजिंग, पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट, परिवहन और अन्य सहायता महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और ट्रांसजेंडरों के लिए सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार होंगे।

vi. शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के समन्वय से स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की चरण-वार शुरूआत शुरू की जाएगी।

vi. व्यापक कवरेज के लिए प्रशिक्षण के ऑनलाइन/ मिश्रित मोड पर ध्यान केंद्रित करें।"

सात. <u>चुनौतियां/बाधाएं</u>

i. <u>सीएसएसएम घटक के तहत चुनौतियां</u>

22. स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा बताई गई प्रमुख चुनौतियां/बाधाएं के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

> "कई राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
>
> **i.** राज्य कोषागार से संबंधित एसएसडीएम/विभागों को निधि जारी करने में विलम्ब।
>
> **ii.** पीएमकेवीवाई सीएसएसएम के लिए वित्तीय संवितरण आईटी मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है जिसके कारण भुगतानों को करने और ट्रैकिंग में देरी होती है।
>
> **iii.** पीएफएमएस और डीबीटी मुद्दे।
>
> **iv.** क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ आकलन में देरी।
>
> **v.** सही पात्रता मानदंड वाले प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता।
>
> **vi.** राज्य में कम औद्योगीकरण के कारण नियोजन भागीदारों का सीमित होना या अनुपलब्धता।
>
> **vii.** दूरस्थ स्थान और खराब या इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण एईबीएएस के माध्यम से ज्यादातर उपस्थिति दर्ज नहीं होती है।
>
> **viii.** एसएससी और टीपी को भुगतान में देरी।"

23. राज्यों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों को समिति ने जानना चाहा। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

> "एमएसडीई और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पीएमकेवीवाई के त्वरित कार्यान्वयन से संबंधित नीति/परिचालन और तकनीकी मुद्दों को हल करने में सफल रहे हैं। पैनल में शामिल प्रशिक्षण प्रदाताओं के शीघ्र ऑन-बोर्डिंग के लिए राज्यों को निरीक्षण अधिकार दिए गए हैं। अधिकांश परिचालन/तकनीकी मुद्दों को व्यापक

नीति-निर्देशन और मार्गदर्शन के साथ समाधान कर लिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई के तहत उम्मीदवारों के नामांकन की दर में वृद्धि हुई थी।"

24. इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि स्कीम के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक जिनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

"**(i)** एमएसडीई राज्यों के साथ नियमित रूप से परामर्श बैठकों/कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों, वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने और पीएमकेवीवाई स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों/मुद्दों को हल करने में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(**ii**) इसके अलावा, एसएसडीएम अधिकारियों के क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण भागीदारों की पहचान में सहायता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धन के उपयोग संबंधी) प्रस्तुत करने के लिए एसएसडीएम के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ राज्य द्वारा स्कीम दिशानिर्देशों का पालन न करने से संबंधित मुद्दे और एसएसडीएम के सामने आने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान के लिए सहयोग, समय-समय पर उठने वाले अन्य संबंधित मुद्दों पर आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।"

25. समिति ने उन राज्यों की संख्या जाननी चाहा जिन्होंने सीएसएसएम घटक के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं की। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"**36** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, कौशल सीएसएसएम घटक के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली केवल **15** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यात्मक है। सीएसएसएम के प्रबंधन के लिए राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के साथ ऑनलाइन पोर्टल की उपलब्धता की स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएसएसएम का ऑनलाइन प्रबंधन	क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएसएसएम का ऑनलाइन प्रबंधन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	19	लक्षद्वीप	हाँ
2	आंध्र प्रदेश	नहीं	20	मध्य प्रदेश	हाँ
3	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	21	महाराष्ट्र	हाँ
4	असम	हाँ	22	मणिपुर	नहीं
5	बिहार	नहीं	23	मेघालय	नहीं
6	चंडीगढ़	हाँ	24	मिजोरम	नहीं
7	छत्तीसगढ	हाँ	35	नागालैंड	नहीं
8	दमन दीव एवं दादर नगर हवेली	नहीं	25	उड़ीसा	हाँ
9	दिल्ली	नहीं	26	पुदुचेरी	नहीं
10	गोवा	नहीं	27	पंजाब	हाँ
11	गुजरात	नहीं	28	राजस्थान	हाँ
12	हरियाणा	हाँ	29	सिक्किम	नहीं
13	हिमाचल प्रदेश	नहीं	30	तमिलनाडु	नहीं
14	जम्मू और कश्मीर	नहीं	31	तेलंगाना	नहीं
15	झारखंड	हाँ	32	त्रिपुरा	नहीं
16	कर्नाटक	हाँ	33	उत्तर प्रदेश	हाँ
17	केरल	हाँ	34	उत्तराखंड	नहीं
18	लद्दाख	नहीं	36	पश्चिम बंगाल	हाँ

दो. <u>उद्योग द्वारा बताए गए चुनौतियां</u>

26. समिति ने संबंधित जॉब रोल में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपयोग को बढ़ाने में उद्योग भागीदारों/हितधारकों को हो रही/उनके समक्ष आ रही बाधाओं के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत स्पष्ट किया:-

"विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों और उद्योग से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से, निम्नलिखित बाधाओं को नोट किया गया था:

(क) पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या वास्तविक उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

(ख) पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के तहत प्रदान किया जाने वाला व्यावहारिक कौशल उद्योग की आवश्यकता के अनुसार नहीं है।

(ग) उम्मीदवारों के नियोजन विवरण की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया कठिन है और इसके लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।"

27. उद्योग भागीदारों/हितधारकों को हो रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रस्तावित पहल/उपचारात्मक उपाय के बारे में पूछे जानेपर मंत्रालय ने निम्नवत प्रत्युत्तर दिया:-

(क) "कौशलीकरण के लिए अंत: क्रय और योगदान देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करना। (प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को साझा करना, मांग एकत्रीकरण, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी), आदि की शुरूआत सहित)

(ख) उद्योग, सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में लचीलापन।

(ग) उम्मीदवारों के लिए शिक्षुता के अवसरों में वृद्धि।"

तीन. अन्य मुद्दे/चुनौतियां

28. समिति ने उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़ने के कारण और स्थिति में सुधार के लिए किए गए उपाय के बारे में जानना चाहा। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"पीएमकेवीवाई **1.0, 2.0** और **3.0** के कार्यान्वयन के दौरान, यह पाया गया कि नामांकित उम्मीदवारों में से लगभग **20%** उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ गए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस

योजना की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट में उम्मीदवार के छोड़ने के कुछ कारण बताए गए थे। पाठ्यक्रमों को छोड़ने के अधिकांश कारणों मेंचिकित्सा आधार, पारिवारिक मुद्दों, सामाजिक समस्या, निवास से प्रशिक्षण केंद्रों तक की दूरी, विवाहित और जुड़े आजीविका मांगों के रूप में सामाजिक स्थिति का उन्नयन, नौकरी तक पहुंच, और पाठ्यक्रम सामग्री से या प्रशिक्षण कार्यक्रम से कौशल में कोई सुधार का न देखा जाना आदि की पहचान की गई। कई महिला उम्मीदवारों ने कथित तौर पर गर्भावस्था, विवाह और पाठ्यक्रमों की कम अवधि के कारण कारणों से पाठ्यक्रम छोड़ दिया था।

सामान्य लागत मानदंड (सीसीएन) में निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों और विशेष समूहों से भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बोर्डिंग और लॉजिंग की लागत, वाहन लागत, एकमुश्त नियोजन यात्रा लागत, पोस्ट नियोजन वजीफा, कैरियर प्रगति सहयोग और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य प्रावधान और पीएमकेवीवाई के तहत सीसीएन का विस्तार किया जा रहा है।"

29. समिति ने जानना चाहा कि योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंचाने के लिए दूरस्थ/पिछड़े क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"योजना के बारे में जागरूकता:

एमएसडीईई क्षेत्र कौशल परिषदों की सहायता से दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में मांग-संचालित कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) और राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के साथ मिलकर काम करता है।

पीएमकेवीवाई में जनजातीय, शिल्पकार, महिला, दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले, दुर्गम क्षेत्रों (वामपंथी चरमपंथी- उग्रवाद) एलडबल्यूई क्षेत्रों आदि जैसे विशेष क्षेत्रों को लक्षित करते हुए विभिन्न विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

विशेष क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता:

क. विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण: आधार लागत के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों को एकीकृत कार्य योजना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया गया है (बाद में इसे विशेष क्षेत्र कहा गया है), में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आधार लागत के **10%** के बराबर अतिरिक्त राशि की अनुमति है।

ख. परिवहन लागत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए वास्तविकता के अनुसार आने-जाने की परिवहन लागत, अधिकतम **5000/-** रुपए प्रति प्रशिक्षु, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।

ग. भोजन और आवास: **31** मार्च **2019** तक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **50%** भोजन और आवास भुगतान प्रदान किया जाता है। उन उम्मीदवारों के लिए **100%** भोजन और आवास भुगतान प्रदान किया जाता है, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों को आठ पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर प्रशिक्षित किया जाता है।

घ. परिवहन सहायता: गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन और प्रमाणन पर, सभी महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजन को प्रशिक्षण केंद्र से आने-जाने में होने वाले व्यय के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है।

प्रति माह परिवहन सहायता		राशि (रुपए में)
1)	अधिवास जिले के भीतर प्रशिक्षण केंद्र	**1000/-**
2)	अधिवास जिले के बाहर प्रशिक्षण केंद्र	**1500/-**

ङ. **नियोजन पश्चात सहायता:** विशेष क्षेत्रों के नए कुशल व्यक्तियों को मजदूरी रोजगार के अंतर्गत अपनी नौकरी/व्यवसाय व्यवस्थित करने में सक्षम

करने के लिए उम्मीदवार को सीधे नियोजन के बाद निम्नलिखित अवधियों के लिए **1500/-** रुपए प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जाती है:

नियोजन पश्चात प्रतिमाह 1500/- रुपए की दर से सहायता	**पुरुष**	**महिलाएं**
1) अधिवास जिले के भीतर प्रशिक्षण केंद्र	**1** माह	**2** माह
2) अधिवास जिले के बाहर प्रशिक्षण केंद्र	**2** माह	**3** माह

दिव्यांगजनों के लिए नियोजन के पश्चात 3,000/- रुपए प्रति माह की दर से निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है:

निजोयन के पश्चात प्रतिमाह 3000/- रुपए की दर से सहायता	**पुरुष/महिलाएं**
(i) अधिवास जिले के भीतर नियोजन	**2** माह
(ii) अधिवास जिले के बाहर नियोजन	**3** माह
(iii) अधिवास राज्य के बाहर नियोजन	**6** माह

प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए छूट:

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए न्यूनतम 1500 वर्ग फुट के कारपेट एरिया की अनुमति है। पूर्वोत्तर के केंद्रों के लिए टिन/बांस की चादरों से बनी दीवारों और छतों को अनुमति दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों (समुद्र तल से 5000 फीट से ऊपर) में एसी की उपलब्धता पर छूट है।"

30. सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत स्पष्ट किया:-

"'हमने देखा है कि जो पीएमकेवीवाई के केंद्र बने हैं, वे शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बने हैं। प्रशिक्षण भी इस प्रकार दिया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत गांव का अभ्यर्थी

शहर में कोई नौकरी ढूंढ सके। सर, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जनजातीय और आकांक्षी जिलों में ज्यादा प्रशिक्षण देंगे। हम कुछ ऐसा प्रशिक्षण भी देंगे ताकि अभ्यृथी गांव में रहे और गांव के जीडीपी को बढ़ाए, चाहे वह कृषि में जॉब हो या कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव के 100 प्रतिशत बच्चे शहरों में चले जाए और गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम नहीं हों।"

आठ. <u>राज्य/जिला स्तरीय दायित्व</u>

31. समिति ने जानना चाहा कि बजटीय सहायता के अलावा, वे कौन से अर्थोपाय हैं जिनके द्वारा मंत्रालय योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जिलों/राज्यों को सहायता प्रदान करता है। इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"एमएसडीई निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में पीएमकेवीवाई - सीएसएसएम के कार्यान्वयन में जिला/राज्य को सहायता प्रदान कर रहा है:

क. आईटी/एसआईपी और स्कीम दिशानिर्देशों पर राज्य पीएमयू को सहयोग

ख. राज्य टीपी की मासिक/साप्ताहिक समीक्षा कार्यशालाओं/बैठकों में भागीदारी, एसएसडीएम और जिला पीएमयू के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में भागीदारी। एसएसडीएम द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यशालाओं का आयोजन।

ग. परिचालन/तकनीकी मामलों का समाधान।

घ. आकलन/प्रमाणन और क्यूपी संबंधित मामलों के लिए एसएससी समन्वय

ङ. राज्य मिशन द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रशिक्षण केंद्रों के दौरे का अनुवीक्षण करना।

च. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य नियोजन अधिकारी(एसईओ)/राज्य नियोजन समन्वयक (एसईसी) की तैनाती

छ. डीएसडीपी के विकास में डीएससी को तकनीकी और सूचना सहायता

ज. एमएसडीई के आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता(संकल्प) के अंतर्गत शुरू में डीएससी का गठन किया गया था। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत उसी संस्थागत ढांचे का लाभ उठाया गया।

32. जब जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) को व्यापक बनाने के उद्देश्य से जिला कौशल समितियों को सहायता देने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए मंत्राय द्वारा विकसित डिस्पैक (जिला कौशल योजना सहायता किट) के संचालन की प्रगति के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"डिस्पैक एप्लिकेशन को दो चरणों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की योजना है। प्रथम चरण में एएस-आईएस स्थिति का आकलन, मौजूदा और भावी मांग का एकत्रीकरण, कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और मांग में अंतराल का विश्लेषण और डीएससी द्वारा प्रशिक्षण और रोजगार संपर्कों में शामिल विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। एकत्र किए गए इनपुट के आधार पर डीएससी फिर ऑनलाइन कौशल विकास स्कीमें तैयार और प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे चरण के दौरान, टूल किट के डैशबोर्ड और रिपोर्ट कार्य आरंभ किए जाएंगे।

डिस्पैक के संचालन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क) पंजीकरण मॉड्यूल - लाइव है और अब तक 673 जिलों को डिस्पैक मॉड्यूल पर पंजीकृत किया गया है।

ख) चरण **I -** प्रथम चरण को 25.07.2022 से आरंभ कर दिया गया है।

ग) चरण **II -** वर्तमान में विकास के चरण में है।"

33. डीएससी की योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ रोजगार मेला आदि जैसी अन्य पहल में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया**:-**

(i) पीएमकेवीवाई योजना के एक भाग के रूप में **1,669** कौशल मेलों और **1,577** रोजगार मेलों का आयोजन करते हुए, चयनित उम्मीदवारों, भाग लेने वाले नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रशिक्षकों, परामर्शदाताओं आदि को सम्मानित करने के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

(ii) समापन समारोह के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई प्रमाण-पत्र वितरित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि शामिल थे।

(iii) इसके अलावा, कौशल विकास इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, जन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों के पीएमकेके और अन्य पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करें और इकोसिस्टम के समग्र विकास के लिए मंत्रालय के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करें।

(iv) जिला स्तर पर दिशा समिति के एक भाग के रूप में, डीएससी उक्त समिति के सदस्यों को पीएमकेवीवाई स्कीम की प्रगति को अद्यतन करते हैं। संबंधित जिलों के जन प्रतिनिधि दिशा समिति का हिस्सा हैं।

नौ. <u>**प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेकेएस) और स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई)**</u>

34. समिति को बताया गया कि पीएमकेके सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) का कवरेज सुनिश्चित करते हुए भारत के प्रत्येक जिले में दृश्यमान और आकांक्षात्मक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए एमएसडीई की एक पहल थी। मंत्रालय ने एनएसडीसी के माध्यम से प्रत्येक पीएमकेके को परियोजना निवेश के **75%** तक पूंजीगत व्यय के साथ-साथ परिचालन सहायता प्रदान की है। मंत्रालय ने स्थापित पीएमकेके की संख्या के संबंध में निम्नलिखित नवीनतम आंकड़े भी प्रस्तुत किए:-

- आवंटित पीएमकेके: **707** जिलों में **818**
- स्थापित किए गए पीएमकेके: **632** जिलों में **722**
- स्थापित पीएसकेके (सीएससीएम एसटीटी के तहत) में प्रशिक्षित उम्मीदवार **16.60** लाख उम्मीदवार

35. उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से ज्ञात होने पर कि आबंटित **818** पीएमकेके में से **30.06.2022** तक केवल **722** पीएमकेके स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में पीएमकेके

की स्थापना में देरी कारण और उनकी स्थापना में तेजी लाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"जिन 96 पीएमकेके की स्थापना नहीं हुई है, उनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

क. परिचालन संबंधी कठिनाइयों का हवाला देते हुए 58 पीएमकेके अभ्यर्पित कर दिए गए है।

ख. अनुमोदित शेष 38 पीएमकेके हैं और जिन्हें अभी स्थापित किया जाना है, की स्थिति निम्नानुसार है

i. वर्ष 2022 में 15 नए पीएमकेके आबंटित किए गए हैं और उन्हें स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है

ii. 23 पीएकेके निम्नलिखित कारणों से भागीदारों द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं:

- पीएमकेके दिशानिर्देशों के अनुपालन में पीएमकेके की स्थापना के लिए उपयुक्त अवसंरचना की अनुपलब्धता
- कोविड के प्रभाव से परिचालन चुनौतियां
- कोविड-19 के कारण वित्तीय तनाव और भागीदारों के स्थापित पीएमकेके में लक्ष्य आबंटित न करना

पीएसके के लिए उपयुक्त स्थान, संपत्तियों के उच्च किराए आदि के चयन से आगीदारों के सामने आने वाली चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, एमएसडीई पीएमकेके दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया से है। विचार-विमर्श और अंतिम रूप देने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को एमएसडी के साथ साझा किया गया है।

जिन जिलों/पीसी से पीएमकेके सरेंडर किए गए हैं, उन्हें या तो आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से नए भागीदारों को फिर से आवंटित किया जाएगा या इनमें से कुछ स्थानों पर एनएसडीसी के स्वामित्व वाले पीएमकेके स्थापित किए जाएंगे।"

36. समिति ने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौशल केन्द्र पहल के बारे में इच्छा व्यक्त की तो मंत्रालय ने समिति को निम्नवत अवगत कराया:-

"शिक्षा इकोसिस्टम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत कौशल केंद्र पहल पर केंद्रित है। यह पहल एनईपी **2020** में परिकल्पित सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर नीति स्तर के तालमेल पर विचार करेगी। कौशल केंद्र पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप एक साझा बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो सभी लक्षित क्षेत्रों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह भी आशा की जाती है कि शिक्षा और कौशल प्रणाली में मौजूदा संसाधनों को सामान्य कामकाजी घंटों के बाद और सप्ताहांत के दौरान कौशल के लिए उपयोग करके इष्टतम उपयोग में लाया जा सकता है। कौशल केंद्र पहल के लिए प्रयोग **1** जनवरी **2022** को शुरू किया गया था।"

37. कौशल केन्द्र पहल के अलग-अलग उद्देश्यों**,** विशेषताओं और वास्तविक प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया**:-**

"प्रायोगिक स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित है:

क. कौशलीकरण के लिए स्थायी व्यावसायिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का प्रावधान।

ख. शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम में झइविंग अभिसरण और एकीकृत कौशल।

ग. व्यावसायिक शिक्षा इकोसिस्टम को आपूर्ति संचालित से मांग संचालित करने की दिशा में फिर से स्थापित करने की दिशा में कदम।

घ. प्रायोगिक चरण में **5,000** कौशल केंद्र के माध्यम से प्रति जिले में **6-7** कौशल केंद्रका प्रावधान।

ड़**.** नई लागत के साथ अल्पावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण की लागत को युक्तिसंगत बनाना।

उम्मीदवारों को प्रशिक्षित प्रमाणित करने के लिए प्रायोगिक कौशल केंद्र पहल के लिए आवंटित कुल बजट लगभग **700** करोड़ रुपए (सात सौ करोड़ रुपए) प्रति

उम्मीदवार **7.300** रुपए की परिचालन लागत के साथ है। शुल्क-आधारित मोड (एआईसीटीई संस्थाओं और निजी स्कूलों) पर चलने वाले को छोड़कर सभी कौशल केंद्रों के लिए स्कीम के वित्तपोषण का विस्तार किया गया है। पीएमकेवीवाई **3.0** योजना के तहत कौशल केंद्र पहल शुरू की गई है। एसएचआई के कौशल केंद्र के प्रायोगिक चरण के तहत लक्ष्य समूह ड्रॉप आउट आउट-ऑफ एजुकेशन और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित समग्र शिक्षा के तहत कवर किया जाना चाहिए।

कौशल केंद्रों को एमएसडी एमआई (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग- डीओएसईएल और उच्च शिक्षा विभाग- वीओएचई), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमई आइटीवाई) आधारित स्वीकृत चयन मानदंड की भागीदारी के साथ प्रणाली और शिक्षा से सहयोजित किया गया है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

क. स्कूल (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी)
ख. उच्च शिक्षा संस्थान (भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं सहित इंजीनियरिंग, तकनीकी और सामान्य संस्थाएं)
ग. पॉलिटेक्निक
घ. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
ङ. प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)
च. निजी प्रशिक्षण प्रदाता (पीएमकेवीवाई केंद्र, शुल्क आधारित केंद्र)
छ. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के तहत संस्थान
ज. अन्य कौशल संस्थान जैसे आर एसईटीआई एनआईईएलआईटी आदि।
झ. एमएसएमई के तहत कौशल संस्थान

वास्तविक प्रगति:

संस्थाएं	कौशल केन्द्रों की संख्या	नामांकित	चल रही संस्थाएं	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित

पीएमकेके	540	1,71,790	8,845	1,35,839	90,525	64,887
राज्य सरकारी स्कूल	608	20,123	14,862	4,781	1,149	275
आईटीआई	312	15,098	10,510	3,962	80	3
केन्द्रीय विद्यालय	219	6,682	3,187	2,568	1,556	571
जेएसएस	47	4,725	1,517	2,769	1,782	1,082
यूजीसी कॉलेज	70	3,444	1,359	1,868	538	280
जेएनवी	86	2,481	1,605	696	347	99
रा.सं.प्रौ.सू.इ.	30	1,615	1,020	444	83	61
एनएसटीआई	34	936	350	508	11	8
अन्य(आईआईई, कॉलेज प्राइवेट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल, ईएमआरएस आदि)	11	1408	131	1214	585	293
कुल योग	1957	2,28,302	43,386	1,54,649	96,656	67,559

38. समिति ने कौशल केंद्र पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या के बीच बड़े अंतर और अंतर को कम करने के लिए किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक प्रयासों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"कौशल केंद्र पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है और प्रशिक्षण के अनेक बैच चल रहे हैं। प्रशिक्षण जीवनचक्र पूरा होने पर प्रशिक्षित और प्रमाणित के बीच का अंतर कम हो जाएगा। हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि कौशल केंद्र पहल प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत नियोजन अनिवार्य नहीं था।"

दस. योजना के तहत प्लेसमेंट

39. स्कीम के सीएससीएम और सीएसएसएम घटकों के अंतर्गत अलग-अलग पीएमकेवीवाई **2.0** और **3.0** के तहत नियोजित उम्मीदवारों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"स्कीम के सीएससीएम और सीएसएसएम घटकों के अंतर्गत पीएमकेवीवाई **2.0** और **3.0** के तहत नियोजित उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:"

पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 पर एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार 30-जून-22 तक अद्यतन सूचना			
घटक	**पीएमकेवीवाई 2.0**	**पीएमकेवीवाई 3.0**	**कुल**
सीएससीएम	**19,07,919**	**22,643**	**19,30,562**
सीएसएसएम	**2,24,796**	**7,956**	**2,32,752**
योग	**21,32,715**	**30,599**	**21,63,314**

40. स्कीम के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत नियोजन की दर में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

एमएसडीई निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों को निम्नलिखित के माध्यम से नियोजन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन कर रहा है:

क) रोजगार मेलों/कौशल मेलों का आयोजन

ख) असीम पोर्टल और अन्य जॉब एग्रीगेटर पोर्टल्स के साथ जुड़ाव

ग) शिक्षुता संवर्धन कार्यक्रम

घ) उद्यमशीलता सहायता एजेंसियों के साथ जुड़ाव

ङ) कैप्टिव प्लेसमेंट के अवसरों के साथ विशेष परियोजनाएं शुरू करना

इसके अतिरिक्त, कुछ एसएसडीएम ने अपने स्वयं के प्लेसमेंट पोर्टल विकसित किए हैं।

41. असीम पोर्टल के उपयोग के माध्यम से रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम उम्मीद्वारों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (असीम) की परिकल्पना की गई थी और एक सहयोगी मंच के माध्यम से कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं को संरेखित करने की कल्पना की गई थी। असीम एक कुशल कार्यबल की निर्देशिका

के रूप में कार्य करता है। लगभग **29** लाख कुशल उम्मीदवारों/नौकरी चाहने वालों को **350** से अधिक नियोक्ताओं के साथ मैप किया गया है और लगभग **56,000** उम्मीदवारों ने असीम पोर्टल के माध्यम से रोजगार हासिल किया है।"

42. नियोजन के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित त्रुटिहीन तंत्र के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी)/प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) द्वारा बताए गए उम्मीदवारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियोजन सत्यापन आवश्यक है। पीएमकेवीवाई के लिए नियोजन पोर्टल पर उम्मीदवारों के नियोजन प्रदान करने और प्रासंगिक दस्तावेज (**90** दिनों के लगातार रोजगार का प्रमाण दिखाते हुए) अपलोड करने के लिए एक टीसी अनिवार्य है।

उपयोगिता उम्मीदवारों का नियोजन सत्यापन दो स्तरों पर किया जाता है:

प्रथम स्तर का सत्यापन: टीसी एसपीओसी द्वारा टीसी स्तर पर आयोजित किया गया। टीसी एसपीओसी नियोजन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ का सत्यापन करता है।

सत्यापन का दूसरा स्तर: टीसी स्तर के सभी सत्यापित उम्मीदवारों का एनएसडीसी द्वारा फिर से सत्यापन किया जाता है।

प्रत्येक उम्मीदवार के नियोजन को सत्यापित करने के लिए नियोजन सिंद्धांत निम्नलिखित हैं:

- **70%** प्रमाणित उम्मीदवारों को प्रमाणन के **90** दिनों के भीतर पूर्ण **20%** किस्त प्राप्त करने के लिए रखा जाना चाहिए (यदि नियोजन **50-69%** के बीच है तो आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए)। **50%** से कम नियोजन वाले बैचों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है, जो पहले रोजगार की तारीख से **3** महीने की अवधि के लिए निरंतर रोजगार में हैं।

- एक बैच में रखे गए कुल उम्मीदवारों में से, न्यूनतम **50%** को वेतन रोजगार में रखा जाना चाहिए (सभी कृषि क्षेत्र की जॉब रोल्स और बीएफएसआई क्षेत्र की जीएसटी लेखा सहायक जॉब रोल्स को छोड़कर)।
- मजदूरी रोजगार में रखे गए प्रत्येक उम्मीदवार को भुगतान किया गया पारिश्रमिक श्रम और रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में परिभाषित राज्यवार न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
- उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने के बाद एक बैच में न्यूनतम **50%** उम्मीदवारों को रखा जाना चाहिए।

एनएसडीसी में रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों का नियोजन सत्यापन दूसरे स्तर पर हुआ - डेस्क सत्यापन और फील्ड सत्यापन जैसा कि नीचे बताया गया है। नियोजन सत्यापन में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए, उम्मीदवार को डेस्क और फील्ड सत्यापन दोनों स्तरों पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

क. डेस्क सत्यापन: डेस्क सत्यापन प्रक्रिया में टीपी/टीसी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ को अनुमोदित जांच सूची के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यदि टीपी/टीसी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ में कोई दस्तावेज़ या जानकारी अनुमोदित जांच सूची के अनुसार नहीं है, तो संबंधित उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाता है।

ख. कार्यक्षेत्र सत्यापन: डेस्क सत्यापन के बाद, अनुमोदित और अस्वीकृत उम्मीदवारों का प्रतिदर्श कार्यक्षेत्र वैधीकरण के लिए कार्यक्षेत्र जाता है। उल्लिखित स्थान पर संगठन, नियोक्ता एसपीओसी और उम्मीदवार की उपलब्धता (जैसा कि एसडीएमएस पर दिया गया है) उम्मीदवार (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) के लिए अंतिम सिफारिश को प्रभावित करती है।

उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने के बाद, अनुमोदित उम्मीदवारों को अंतिम जांच के लिए वित्त टीम के पास भेजा जाता है। अंतिम किस्त (टी**3**) भुगतान वित्त टीम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त प्रशिक्षण भागीदारों को किया जाता है।

43. स्कीम के अंतर्गत विभिन्न संकेतक उम्मीदवारों के वास्तविक नियोजन/स्वरोजगार से जुड़े हुए यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए ठोस उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पीएमकेवीवाई 3.0 में, प्रशिक्षण प्रदाताओं की अंतिम 30% किस्त भुगतान को नियोजन के साथ जोड़कर उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पीएमकेवीवाई 2.0 में इसे 20% से बढ़ा दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोजन अनुपालन मानदंड के अनुरूप प्रमाणीकरण के बाद वास्तविक नियोजन हुआ है, प्रत्येक उम्मीदवार को गारंटी के लिए संबंधित तीसरी किस्त का भुगतान जारी होने से पहले नियोजन सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा कि प्रत्येक उम्मीदवार का अपलोड किया गया डेटा सटीक है और वह बैच अंतिम तीसरी किस्त के भुगतान के लिए योग्य है।

नियोजन सत्यापन प्रवाह नीचे दिया गया है:

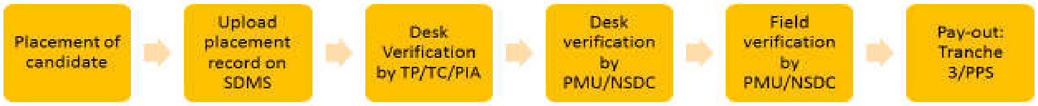

44. एक अन्य विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा कि रोजगार मेलों का आयोजन टीपी/डीएससी/एसएसडीएम/एसएससी द्वारा जिला और क्षेत्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर नियोजन और शिक्षुता के लिए किया गया था।

45. पीएमकेवीवाई 2.0 से प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्कीम को संशोधित किए जाने के बाद भी पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत विशेष रूप से कम नियोजन के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी और प्रशिक्षण का कार्यान्वयन अभी भी चल रहा है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों के कुछ आकलन और प्रमाणन कम समय में पूरे होने वाले हैं। जब यह कार्य पूर्ण हो

जाएगा, पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत नियोजन बढ़ने की उम्मीद है। पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण जीवन चक्र भी लॉकडाउन और कोविड 19 स्थिति से उत्पन्न अन्य मामलों के कारण प्रभावित हुआ।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत दो उप-स्कीमें अर्थात कोविड वारियर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स कार्यक्रम (सीडब्ल्यू के लिए सीसीसीपी) और कौशल केंद्र पहल (एसएचआई) आरंभ किए गए थे, जिनमें नियोजन अनिवार्य नहीं था।"

46. प्रशिक्षण/प्रमाणन/अभिविन्यास के पूरा होने के बाद, सभी स्कीमों से जुड़े उम्मीदवारों को ट्रैक करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित तंत्र के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"टीपी/टीसी/पीआईए द्वारा बताए गए उम्मीदवारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियोजन सत्यापन विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाना आवश्यक होता है। उम्मीदवारों के सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के पश्चात प्लेसमेंटट्रैकिंग और सत्यापन के लिए चेकपॉइंटपोर्टल में तुरंत सक्रिय हो जाते हैं इसके तहत, जिन उम्मीदवारों को प्रमाणित किया जाता है, उन्हें प्रमाणन के पहले 90 दिनों के भीतर रखा जाना होता है, इसके बाद इन उम्मीदवारों को लगातार 90 दिनों तक ट्रैक किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र को अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट प्रमाण दस्तावेज जैसे वेतन पर्ची और बैंक हस्तांतरण विवरण अपलोड करना होता है।

<u>निगरानी प्रक्रिया</u>

क. आउटबाउंड कॉल स्वचालित आईवीआर वॉयस कॉल है, जो अपने प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षण भागीदार द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर उम्मीदवारों को की जाती है। ओबीडी के माध्यम से उम्मीदवार सत्यापन के लिए **100%** यूनिवर्स उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस उपकरण का उपयोग नामांकन के बाद उम्मीदवार सत्यापन और प्रमाणन के बाद उम्मीदवार प्रतिक्रिया दोनों के लिए किया जाता है।

ख. ओबीडी पीएमकेवीवाई स्कीम के सभी तीन घटकों अर्थात् अल्पावधि प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण मान्यता और विशेष परियोजनाओं में आयोजित किया जाता है।

ग. इस योजना से संबंधित मैनुअलकॉलिंग आयोजित करने के लिए एनएसडीसी द्वारा एक तृतीय-पक्ष कॉल सेंटर को ऑनबोर्ड किया गया है। डेटाबेस में उम्मीदवारों के विशिष्ट बैचों के लिए प्रशिक्षण भागीदार द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर उम्मीदवारों को कॉल किए जाते हैं।

घ. सीवी पीएमकेवीवाई योजना के सभी तीन घटकों अर्थात् अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षा की मान्यता और विशेष परियोजनाओं में आयोजित किया जाता है।"

47. समिति कौशल और रोजगार मेलों के माध्यम से प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की और क्या यह मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। उत्तर में मंत्रालय ने समिति को निम्नवत अवगत कराया:-

क. कौशल मेला एक शिविर आधारित दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग उम्मीदवारों को जुटाने, जागरूकता पैदा करने और उपयुक्त उम्मीदवारों के नामांकन के लिए किया जाता है। रोजगार मेला नौकरी देने वालों और नौकरी चाहने वालों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक रोजगार कार्यनीति का हिस्सा है। पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के दौरान लगभग **1,669** कौशल मेले और **1,577** रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें **2,57,767** उम्मीदवारों को भाग लेने वाले नियोक्ताओं द्वारा चयन किया गया था।

ख. रोजगार मेलों के अलावा, कैप्टिव प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है और विशेष ध्यान दिया जाता है।

ग. प्रशिक्षण के बाद, उम्मीदवारों को अपरेंटिसशिप पोर्टल्स से जोड़ा जाता है और सभी प्रमाणित उम्मीदवारों को संभावित नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए सीधे असीम पोर्टल से जोड़ा जाता है।

घ. रोजगार मेला कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है और अधिकतम उम्मीदवार कर्मचारी संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है।

48. उम्मीदवारों और उद्योगों/नियोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल और रोजगार मेलों के प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या कदमों के बारे में आगे पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत अवगत कराया:-

"कौशल और रोज़गार मेलों के प्रचार-प्रसार के लिए नियमित ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों का उपयोग किया गया। प्रशिक्षण भागीदारों, क्षेत्र कौशल परिषदों, राज्य कौशल विकास मिशनों, शैक्षणिक संस्थानों/प्रशिक्षण प्रदाताओं में प्रचार के साथ-साथ क्षेत्रीय मीडिया में विज्ञापन, सामुदायिक रेडियो चैनलों पर रेडियो जिंगल और प्रिंट अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति जैसे कौशल इकोसिस्टम में भागीदारों के माध्यम से उम्मीदवारों को जुटाया गया था।"

ग्यारह. <u>अभिसरण</u>

49. समिति ने स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने कार्यकलापों के समन्वय के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

क. एमएसडीई युवाओं को विभिन्न आजीविका के अवसरों से जोड़ने के अंतिम उद्देश्य के साथ कौशल इकोसिस्टम, संस्थागत सुदृढ़ता, अभिसरण गुणवत्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसडीई ने अपनी स्थापना के बाद से कम समय के भीतर देश में कौशल इकोसिस्टम के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

ख. एमएसडीई ने क्षेत्र नियामक - एनसीवीईटी, सामान्य मानदंड, एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम/अर्हता पैक, सामग्री और पाठ्यक्रम, प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया, क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) को अवार्डिंग एजेन्सी आदि के संदर्भ में कौशल विकास के लिए मानकीकृत इकोसिस्टम प्रदान किया है। सभी कौशल विकास करने वाले मंत्रालय और राज्य अपनी स्कीमों के लिए इन मानकों और बेंचमार्क का उपयोग कर सकते हैं।

ग. इसके अलावा, स्किल इंडिया पोर्टल विकसित किया जा रहा है और विभिन्न मंत्रालयों को उनकी संबंधित स्कीम कार्यान्वयन के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक, **10** राज्यों की **25** स्कीमों को एसआईपी के साथ एकीकृत किया गया है और **15** मंत्रालयों की **18** स्कीमों को स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

50. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमएसडीई के कौशल प्रयासों को समन्वित करके स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल अंतर को दूर करने के लिए किए गए उपायों से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद (एचएससीसी) के परामर्श के आधार पर, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. राष्ट्रीय संबंद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग(एनसीएएचपी) विधेयक, 2021 विधेयक के तहत, परिषद में एमएसडीई प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है। बिल न्यूनतम 2000 घंटे या उससे अधिक अवधि के संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों को विनियमित करता है। 2000 घंटे तक के पाठ्यक्रम एमएसडीई द्वारा विनियमित होते हैं।

ख. एनसीएएचपी के विनियमों में एनसीएएचपी की अर्हताओं को कौशल पाठ्यक्रमों से पार्श्व आजीविका में प्रगति का प्रावधान दिया जाएगा। यह भी सहमति हुई कि 2000 घंटे से कम की प्रशिक्षण अवधि के एमएसडीई

मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कौशल स्वास्थ्य देखभाल अर्हता को विनियमित किया जाएगा।

ग. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद (एचएससीसी) अपने सभी कौशल पाठ्यक्रमों को कौशल अर्हता के रूप में अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के सामने प्रस्तुत करने से पहले उनकी टिप्पणियों और सहमति के लिए स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से साझा करती है।

घ. एनएसडीसी ने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हील बाई इंडिया' विषय पर चिंतन शिविर में भाग लिया। चिंतन शिविर के दौरान स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में कुशल कार्यबल की भूमिका के बारे में चर्चा की गई।

ङ. एमएसडीई ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अंतर्गत एक उप-समूह को कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्टाफिंग मानदंडों के अंतर्गत स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित कुशल कार्यबल को शामिल करने की सिफारिश की। निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर चुनिंदा रोल्स के लिए सिफारिश को आंशिक रूप से शामिल किया गया था।

च. एचएसएससी ने ड्रेसर (चिकित्सा) कौशल अर्हता के विकास के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ डीजीएचएस के साथ सहयोग किया

छ. एमएसडीई/एचएसएससी आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पीएम आरोग्य मित्र (पीएमएएम) के प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ एनएचए के साथ सहयोग कर रहा है।

51. इसके अलावा, इस संबंध में सामना की जाने वाली तकनीकी/कानूनी बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत अवगत कराया:-

क. "स्वास्थ्य देखभाल कौशल पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया और अनुमोदन प्राप्त न होना एमएसडीई के दायरे में आने वाले कौशल पाठ्यक्रमों में देरी करने वाली बड़ी चुनौती है। एमएसडीई ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर फीडबैक/अनुमोदन भेजने के लिए 8 सप्ताह की समय-सीमा का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ख. नैदानिक स्थापना अधिनियम, एनएबीएल और एनएबीएच मानक आदि जैसे विभिन्न नियमों और मानकों में कौशल पाठ्यक्रमों की गैर-मान्यता। स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार और स्वायत्त निकायों के साथ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित विभिन्न नियमों और मानकों के अंतर्गत एनएसक्यूएफ प्रमाणीकरण की मान्यता का अनुसरण करना।

ग. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों/विभाग, राज्य एम्बुलेंस सेवाओं आदि के अंतर्गत रोजगार के लिए अर्हता के रूप में कौशल प्रमाणन को शामिल करना।

घ. एमएसडीई संबद्ध स्वास्थ्य कर्मी विधेयक के 'नियमों और विनियमों' में ब्रिज कोर्स के माध्यम से कौशल अर्हता से डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों में आजीविका प्रगति के रास्ते को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ काम करना जारी रखेगा। देश भर में स्वास्थ्य एवं स्वस्थता केंद्र के लिए कुशल कार्यबल बनाने के लिए एमएसडीई कौशलीकरण इकोसिस्टम का लाभ उठाया जाएगा।"

52. साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत विस्तृत विवरण दिया:

"सर, हेल्थ रेगुलेशन में यह रूल काफी स्ट्रॉन्ग आ गया है कि जहां भी पेशेंट को टच करना है, उन चीजों को वे ही रेगुलेट करेंगे। सर, दो चीजें हैं। एक हेल्थ का इश्यू है और एक लॉ का इश्यू है। सिर्फ इन कोर्सेज के दूसरे रेगुलेटर्स हैं बाकी सब हमारे रेगुलेटर्स के पास हैं। कोवि में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अच्छी

बातचीत हुई थी। कोविड के दौरान स्पेशलाइज कोर्सेज लाए गए, तथा हमने उन्हीं से अप्रूव करवाकर हॉस्पिटल्स में उनकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करवाई।

हमें आशा है कि अगले चार-पांच महीनों में हम मिलकर कई चीजें कर पाएंगे। एनसीवीटी हेल्थ मिनिस्ट्री को यह भी रीच आउट कर रहा है कि आप अपनी संस्थाओं की ही अवार्डिंग बॉडीज बना दीजिए, जिससे वे ही कोर्सेज लेकर आए, वे ही चलाएं और हम भी उसके पैरलल चले। वे जो कोर्सेज एलाऊ करेंगे, उन्हें हम निश्चित तौर पर अपने सेन्टर्स में या हॉस्पिटल्स के साथ टाईअप करके उसे करेंगे। इसमें डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की कई हेल्थ रिलेटेड एसोसिएशन्स है, वे भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है।"

53. जहां तक एमएसडीई द्वारा अपनी कौशल गतिविधियों को आयुष मंत्रालय के साथ समन्वित करने के प्रयासों का संबंध है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"आयुष मिनिस्ट्री जो कि दूसरी मेडिसिन्स से संबंधित है, मैंने उनके सेक्रेटरी से भी दो-तीन बार बात की है। अभी उनका सेपरेट सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर आप सेपरेट सेक्टर स्किल आयुष चाहते हैं तो हम वह भी बनाना चाहेंगे ताकि हम आयुष के कोर्सेज को भी बढ़ावा दे पाए। इस तरह से एक तो हॉस्पिटल्स के साथ प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन कोर्सेज हो गए और दूसरे आयुष मेडिसिन के कोर्सेज हो गए।"

54. तत्पश्चात् समिति ने अन्य मंत्रालयों के साथ विभिन्न कौशल पहलों के अभिसरण और इस संबंध में कौशल भारत पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए अपने प्रयासों में मंत्रालय द्वारा सामना की जा रही बाधाओं/अड़चनों को जानने की इच्छा व्यक्त की। उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत:-

"अनेक मंत्रालय कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। निम्नलिखित कुछ चुनौतियाँ हैं और प्रस्तावित कार्रवाई इस प्रकार है:

क. कौशल कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों को स्किल इंडिया पोर्टल में शामिल नहीं किया गया है। देश में विभिन्न कौशल स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए डेटा अभिसरण (परस्पर एपीआई सहित यदि स्कीम विशिष्ट पोर्टल मौजूद है) सुनिश्चित करना।

ख. प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों में परस्पर उपयोग के लिए मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध कौशल भारत पोर्टल के तक्षशिला पर प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं के विवरण साझा करना और अपलोड करना एमएसडीई प्रशिक्षकों/निर्धारकों के सतत प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन में सहायता करेगा।

ग. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए सामान्य लागत मानदंड समिति का गठन किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले अधिकांश मंत्रालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कौशल कार्यक्रमों की ऊपरी सीमा के रूप में सामान्य लागत मानदंड (सीसीएन) का पालन करें।

घ. अधिकांश कौशल पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप नहीं हैं। पाठ्यक्रम के मानकीकरण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कौशल पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ में संरेखित करना। एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यक्रम/क्यूपी व्यापक स्वीकार्यता के लिए स्किल इंडिया पोर्टल में सूचीबद्ध हैं।

ङ. सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली एकीकृत जिला कौशल विकास योजना तैयार करने में जिला स्तर पर स्थापित जिला कौशल समिति (डीएससी) की सहायता करना ताकि उम्मीदवारों को जुटाने, जॉब रोल्स के चयन आदि के मामले में प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।

च. कौशल विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले सभी मंत्रालय असीम पोर्टल की उपयोगिता का लाभ उठा सकते हैं, जो कुशल जनशक्ति और

नियोक्ता दोनों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करने वाली सामान्य कुशल कार्यबल निर्देशिका है।

बारह. <u>कौशल अंतराल अध्ययन</u>

55. जहां तक सेक्टर स्किल काउंसिलों द्वारा किए गए कौशल अंतराल अध्ययन का संबंध है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

> "हमारी जो सेक्टर स्किल काउन्सिल है, वह स्टडीज कर रही हैं कि स्किल को असरटेन करने की कोशिश कर रही है कि किस सेक्टर में क्या-क्या स्किल उपलब्ध है और भविष्य में किस तरह की जॉब निकलेगी ताकि हम उसके अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें, इस्टीट्यूशन बना सके और ट्रेनिंग का एक इको सिस्टम खड़ा कर सकें। डिस्ट्रिक्ट स्किल काउन्सिल को हम लोग लिबरेज कर रहे हैं ताकि हर डिस्ट्रिक्ट को एक इकाई मानकर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए स्किलिंग की प्लानिंग की जा सके।"

56. समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में जनशक्ति आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योगों और डीएससी के साथ समन्वय करके कौशल अंतर अध्ययन करने वाली क्षेत्र कौशल परिषदों की संख्या जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "**37** क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) में से लगभग **18** सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) ने कौशल अंतराल अध्ययन पूरा कर लिया है और अन्य एसएससी अपना अध्ययन पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। अनुमानित अवधि के साथ विभिन्न उप-क्षेत्रों में कार्य के लिए उपलब्ध कुशल उम्मीदवारों की कमी के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण संदर्भ के लिए नीचे दर्शाया गया है।

आयोजित कौशल अंतराल अध्ययन का एसएससी-वार विवरण

क्र. सं.	एसएससी का नाम	कौशल अंतराल में फोकस के प्रमुख क्षेत्र या उप क्षेत्रों को इंगित करना	अनुमानित अवधि	अभिज्ञात कुल कौशल अंतराल (लाख में)
1	एयरोस्पेस और विमानन	एयरलाइंस, हवाई अड्डे और एयर कार्गो, एमआरओ	**2022-2025**	**0.67**
2	परिधान	परिधान, मेड अप और होम फर्निशिंग	**2021-2025**	**86.00**
3	मोटर वाहन	ऑटोमोटिव सेक्टर	**2019-2026**	**294.10**
4	घरेलू श्रमिक	हाउसकीपिंग एंड केयरगिविंग - बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू प्रबंधकों में प्रमुख अंतराल	**2021-2025**	**42.00**
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्प और विनिर्माण (9 उप-क्षेत्र)	**2022-2024**	**23.00**
6	खाद्य प्रसंस्करण	ब्रेड और बेकरी, मिलिंग अनाज और) दलहन(, कोल्डचेन, डेयरी उत्पाद, मछली और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, एफ एंड वी प्रोसेसिंग, पेय पदार्थ (चाय और कॉफी), खाने के लिए तैयार उत्पाद, मसाले, सोया प्रसंस्करण, मांस और कुक्कुट	**2022-2030**	**12.07**
7	फर्नीचर फिटिंग	लकड़ी के फर्नीचर, धातु के फर्नीचर, प्लास्टिक के फर्नीचर, बांस और बेंत के फर्नीचर, वास्तु फिटिंग-दरवाजे/खिड़कियां, मॉड्यूलर फर्नीचर, हार्डवेयर फिटिंग और इंटीरियर डिजाइनर	**2016-2025**	**44.06**
8	रत्न और आभूषण	हस्तनिर्मित आभूषण, मशीन से बने आभूषण, खुदरा आभूषण, नकली आभूषण, लैब में बने हीरे	**2020-2023**	**12.00**
9	ग्रीन जॉब्स	अक्षय ऊर्जा - सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा	**2022-2030**	**35.00**

10	हाइड्रोकार्बन	अपस्ट्रीम (तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन), मिडस्ट्रीम (प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन) डाउनस्ट्रीम (रिफाइनरी, मार्केटिंग और वितरण) और निर्माण और सेवाएं	**2022-2030**	**2.00**
11	लौह और इस्पात	लोहा और इस्पात (मुख्य रूप से फिटर, क्रेनऑपरेटर, वेल्डर का अंतराल है) और अन्य उप क्षेत्र जैसे फाउंड्री, रीरोलिंग, स्पंज आयरन और फेरो मिश्र	**2030-2031**	**18.00**
12	जीवन विज्ञान	फार्मास्युटिकल, बायोफर्मासिटिकल और मेडिकल डिवाइसेस में अधिक अंतराल है	**2022-2026**	**8.20**
13	प्रबंधन	कार्यालय प्रबंधन और प्रशासन, निजी सुरक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन, व्यावसायिक कौशल, शिक्षा -गैर) (शिक्षण	**2022-2025**	**65.00**
14	मीडिया और मनोरंजन	प्रमुख उप-क्षेत्र: एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, फिल्म, टीवी, इवेंट, लाइव परफॉर्मेंस, थीम पार्क, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल मीडिया और ओटीटी, विज्ञापन और ओओएच, ध्वनि और संगीत	**2022-2025**	**9.36**
15	खनन	पूर्वेक्षण, अन्वेषण, खनन संचालन, इंजीनियरिंग सेवाएं, मिनरल बेनिफिकेशन और सहायक गतिविधियां	**2022-2025**	**8.50**
16	कपड़ा	कताई, बुनाई, बुनाई, प्रसंस्करण, तकनीकी वस्त्र और हथकरघा और खादी	**2022-2023**	**21.29**

17	पर्यटन और आतिथ्य	होटल, रेस्तरां/क्यूएसआर/पर्यटन/सुविधा प्रबंधन	**2023-2025**	**14.00**
18	जल प्रबंधन और नलसाजी	औद्योगिक/गैर-औद्योगिक नलसाजी, जल आपूर्ति और जल प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण, सीवरेज और सीवेजप्रबंधन, जल निकासी, जल संचयन और ग्राउंड रिचार्जिंग	**2022-2025**	**3.39**

57. स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण किट प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) और अन्य अवार्डिंग निकाय (एबी) अंग्रेजी के अलावा हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और सामग्री विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।"

तेरह. <u>क्षमता वृद्धि और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग</u>

58. इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षकों/शिक्षण संकाय की क्षमता वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, **2015** ने कौशल में गुणवत्ता आश्वासन पर बल दिया है। महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण कारकों में से एक कारक गुणवत्ता प्रशिक्षकों की आपूर्ति है। भारत भर में, अल्पावधि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अल्पावधि कौशल इकोसिस्टम में प्रशिक्षकों के लिए मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए एनएसडीसी, **37** एसएससी के माध्यम से, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के माध्यम से एसटीटी इकोसिस्टम में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रशिक्षकों के लिए इकोसिस्टम में सूचना विषमता को दूर करने और संचालन में आसानी होती है। समग्र रूप से वर्णित

प्रक्रिया ट्रेनर योग्यता को सभी योग्यता पैक (क्यूपी) में सुव्यवस्थित, मानकीकृत किया है।

प्रशिक्षकों के पूल को और बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए, सीआईटीएस प्रशिक्षकों को स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) पर भी पंजीकृत किया गया है/जोड़ा गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार **65,000** से अधिक प्रशिक्षक एसआईपी पर पंजीकृत हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इको सिस्टम में प्रशिक्षकों को उद्योग के सहयोग से स्थापित बेस्ट-इन-क्लास ट्रेनर - मूल्यांकनकर्ता अकादमियों के माध्यम से खुद को पुनः कौशल और कौशलोन्नयन के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।"

59. प्रशिक्षक/शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"हम लोग सेंट्रल ट्रेनिंग एड ट्रेनर असेसर का प्लॉन कर रहे है कि हम एक पूल ऑफ नेशनल असेसर्स और ट्रेनर बनाएंगे ताकि क्वालिटी के प्रशिक्षण देने वाले रहेंगे तो हमारे ट्रेनिंग की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा और उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी और इम्प्लायबिलिटी बढ़ेगी।"

60. इस योजना के तहत उम्मीदवारों के पुन: कौशल और कौशल उन्नयन के लिए किए गए उपायों के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"स्कीम के अंतर्गत पुन: कौशल और कौशल उन्नयन के लिए किए गए कुछ विशिष्ट उपाय निम्नलिखित हैं:

क. किसी उम्मीदवार के लिए पुन: कौशल या कौशल उन्नयन का आकलन मौजूदा कौशल के मानचित्रण और किसी विशेष जॉब रोल के लिए आकांक्षा के साथ मिलान के माध्यम से किया जा सकता है। इसे पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एसटीटी, आरपीएल और विशेष परियोजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

ख. असीम पोर्टल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति से मेल खाता है, जिससे युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसर और नियोक्ताओं को तैयार कुशल जनशक्ति की उपलब्धता की सुविधा मिलती है।

ग. एमएसडीई एनएसडीसी के माध्यम से उम्मीदवारों को मांग संग्रह पोर्टल (डीएपी) पर पंजीकरण के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जहां उम्मीदवारों की आकांक्षाओं के आधार पर कौशलीकरण/पुन: कौशलीकरण की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

घ. इसके अलावा, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन के आशय से, उम्मीदवार को पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत **6** माह के अंतराल के बाद अधिकतम **2** बार नए पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करने की अनुमति है"

61. विभिन्न घटकों के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रदान किए गए प्रमाणन की विभिन्न श्रेणियों/स्तरों की स्वीकार्यता और मांग में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय निम्नवत अवगत कराया:-

क. "उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण (ओजेटी) को कोविड योद्धाओं के लिए विशिष्ट रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम (सीडब्लयू के लिए सीसीसीपी) में प्रस्तुत किया गया था। उसी के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि ओजेटी प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग होगा और उद्योग परिसर में प्रशिक्षण, उद्योग पाठ्यक्रम को अपनाने, उद्योग के लिए कौशल उन्नयन आदि को पीएमकेवीवाई स्कीम के अगले संस्करण में बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उम्मीदवार की रोजगार अर्हता और उद्योग द्वारा प्रमाणपत्र की स्वीकार्यता में सुधार होगा।

ख. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत लक्ष्य आबंटित करने के लिए एसएससी द्वारा किए जा रहे कौशल अंतराल अध्ययन, सर्वेक्षण, डीएससी द्वारा किए जा रहे डीएसडीपी के माध्यम से आंकलित स्थानीय आवश्यकता और अन्य

प्रासंगिक मापदंडों सहित उद्योग की मांगों पर विचार किया जाता है। भावी मांग को सुनिश्चित करने के लिए पीएमकेवीवाई स्कीम के अगले संस्करण में कौशल अंतराल अध्ययन और डीएसडीपी पर भी विचार किया जाएगा।

ग. इसके अलावा, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण एसएससी द्वारा विकसित अर्हता पैक, सामग्री और पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जा रहा है, जोकि कौशल विकास के लिए प्रतिनिधि उद्योग संस्थाएं हैं।

घ. इसके अलावा, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन सहित प्रमाणन की विभिन्न श्रेणियों/स्तरों की स्वीकार्यता और मांग को बढ़ाने के लिए पीएमकेवीवाई स्कीम के अगले संस्करण में भी उपयुक्त प्रयास किए जाएंगे।"

62. समिति को सूचित किया गया कि पीएमकेवीवाई के तहत, दिव्यांग समूहों से संबंधित **48,945** उम्मीदवारों को प्रशिक्षण/अभिविन्यास प्रदान किया गया है। इस संबंध में, समिति ने ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रशिक्षण/अभिविन्यास के बाद रोजगार पाया, की संख्या और दिव्यांग उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की । इसके उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत सूचना दी:-

"पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रशिक्षित/उन्मुख 48,945 दिव्यांगजन उम्मीदवारों में से लगभग 42,161 दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया था और 17,824 दिव्यांगजन उम्मीदवार की नियुक्ति रिपोर्ट है।

पीएमकेवीवाई और सामान्य लागत नियम (सीसीएन) के अंतर्गत, अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जॉब रोल्स में निःशुल्क प्रशिक्षण के अलावा, दिव्यांगजनों के लिए भोजन और आवास की लागत, परिवहन लागत, एकमुश्त नियोजन यात्रा लागत, नियोजन के पश्चात वजीफा, आजीविका प्रगति सहायता सहित अन्य पात्रताएं।

क. <u>दिव्यांगजनों के लिए भोजन और आवास की लागत (प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया जाना है):</u>

दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता (पीएमकेवीवाई अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत 200 से 500 घंटे के पाठ्यक्रम 42 रुपए की औसत प्रति घंटा लागत से प्रदान किए जाते हैं) निम्नानुसार होंगे:

i. अस्थि दिव्यांग/शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए आधार लागत से 10% अधिक।

ii. दृष्टिबाधित/श्रवण बाधितों के लिए आधार लागत से 20% अधिक; तथा

iii. बौद्धिक और सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी/मानसिक मंदता के लिए मूल लागत से 25 प्रतिशत अधिक।

विशेष क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के मामले में, आधार लागत से अधिक 10% के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

ख. <u>परिवहन लागत: (उम्मीदवारों को भुगतान किया जाना है)</u>

गृह जिले के बाहर परिवहन के लिए	**1,500/-** रुपए प्रति माह
(भोजन और आवास सहायता नहीं मिलने की स्थिति में)	**1,000/-** रुपए प्रति माह

ग. <u>एकमुश्त नियोजन सहायता लागत (उम्मीदवारों को भुगतान किया जाना है):</u>

एकमुश्त यात्रा लागत अधिकतम 4,500/- रुपए प्रति उम्मीदवार

घ. <u>नियोजन के पश्चात वृत्तिका (उम्मीदवारों को भुगतान किया जाना है):</u>

प्रति उम्मीदवार 1,500/- रुपए प्रति माह।

ङ. <u>आजीविका प्रगति सहायता (प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया जाना है)</u>

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 5,000/- रुपए प्रति उम्मीदवार, जिसे 15,000/- रुपए प्रति माह की नौकरी मिलती है और प्रशिक्षण के 1 वर्ष के भीतर 3 माह तक नौकरी करता है।

च. दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त सहायता (प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया जाना है)

सहायक उपकरणों, सहायता और उपकरणों के लिए 5,000/- रुपए।

छ. प्रत्यायन और संबद्धता दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रैंप, लिफ्ट और वॉशरूम आदि सहित सुलभ अवसंरचना प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

63. विभिन्न घटकों के अंतर्गत पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए हाल ही में की गई पहलों का संबंध है मंत्रालय ने निम्नवत अवगत कराया है:-

- सभी पाठ्यक्रमों में 30 घंटे के गुणक में रोजगार क्षमता मॉड्यूल की शुरुआत की जा रही है।
- मिश्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनसीवीईटी द्वारा जारी मिश्रित शिक्षण और आकलन के लिए दिशानिर्देश अर्थात प्रशिक्षण में एआर/वीआर का उपयोग।
- पाठ्यक्रम में 20% तक संशोधन/लचीलापन की अनुमति है।
- यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम सामग्री अंग्रेजी के अतिरिक्त कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध हो।

64. पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में परिकल्पित परिवर्तनों और मिश्रित अधिगम की शुरूआत के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान आगे निम्नवत बताया:-

"हमने करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करिकुलम में **20** परसेंट वेरिएशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनकी स्थानीय जरूरत के अनुसार, उद्योग की आवश्यकता के अनुसार मोडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्स मैटीरियल हैं, उनमें एफर्ट किया जा रहा है कि न केवल इगलिश में अवेलेबल हो, हिंदी और रीजनल लैग्वेज में भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को कैसे

सशक्त करें, इस पर भी काफी प्रयास किया जा रहा है। हमने महात्मा गांधी नेशनल फेलोज, यंग प्रोफेशनल टीम लगाई है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेप्लायड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मदद कर रहे हैं। उन्हें प्रोफेशनल इनपुट दे रहे है ताकि डिस्ट्रिक्ट के लिए स्किलिंग प्लान बना सके और उसके मुताबिक स्किलिंग के प्रोग्राम ले सके ट्रेनिंगदे सके।"

चौदह. <u>निगरानी</u>

65. जहां तक पीएमकेवीवाई के अंतर्गत जमीनी स्तर पर निगरानी की प्रक्रिया का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"इस स्कीम के अंतर्गत, नामांकित उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और नियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण जीवनचक्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रावधान किए गए हैं। ये प्रक्रियाएं प्रशिक्षण केंद्रों के समवर्ती अनुवीक्षण और प्रशिक्षण केंद्रों में उम्मीदवार की कौशल प्रगति में सहायता करती हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कुछ प्रमुख प्रणालियां नीचे दी गई हैं:

- पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवारों का नामांकन आधार आधारित है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्कीम के अंतर्गत फर्जी नामांकन न हो।
- आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से दैनिक उम्मीदवार उपस्थिति अनुवीक्षण: प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में एईबीएएस मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को किस्त भुगतान को उपस्थिति से जोड़ा गया है।
- निम्नलिखित अनुवीक्षण उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और उम्मीदवार की कौशल अवधि की प्रगति का समवर्ती अनुवीक्षण:
    - उम्मीदवार सत्यापन: स्कीम के अंतर्गत नामांकित उम्मीदवारों को सत्यापित करने के लिए प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर उम्मीदवार को स्वचालित/मैनुअल कॉल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉल सत्यापन अनेक माध्यमों जैसे जन शिकायत, अन्य हितधारकों से

शिकायत आदि के माध्यम से प्राप्त मामलों की जांच करने में भी सहायता करता है।

- केंद्र का औचक दौरा: एनएसडीसी/एसएससी स्टाफ सदस्यों द्वारा स्कीम अनुपालन मापदंडों की सारणी की जांच करने के लिए वास्तविक समय में औचक दौरा किया जाता है।
- वर्चुअल सत्यापन: यह प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर पीएमकेवीवाई अनुपालन के वस्तुतः अनुवीक्षण और सत्यापन करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी तंत्र है। प्रशिक्षण केंद्र को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मांगे जाने पर जियोटैग और टाइम स्टैम्प्ड छवियों के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होती है।
- प्रशिक्षण केंद्रों को परिणाम आधारित भुगतान: प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान कार्यक्रम के जीवनचक्र के माध्यम से उपस्थिति, प्रमाणन और नियोजन जैसे विशिष्ट परिणामों पर आधारित होता है।"

66. मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण दंडित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का ब्यौरा प्रदान करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत अवगत कराया:-

"अनुवीक्षण समिति द्वारा उचित कर्मठता के बाद पाई गई विसंगतियों के अनुसार गैर-अनुपालन संस्थाओं के लिए दंड (अर्थ दंड सहित) से दंडित करने के लिए दंड मैट्रिक्स तैयार किया गया है। गंभीर गैर-अनुपालन के मामलों में, प्रशिक्षण केंद्र को छह माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है या कौशल इकोसिस्टम से काली सूची में डाला जा सकता है।

<u>दंडित किए गए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या (पीएमकेवीवाई 2.0)</u>

एसटीटी - **838**

आरपीएल - **128**

विशेष परियोजना – **64**

<u>दंडित किए गए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या (पीएमकेवीवाई 3.0)</u>

एसटीटी - **34**

आरपीएल - **0**

विशेष परियोजना - **104**

पंद्रह. <u>पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए तैयारी</u>

67. समिति ने पीएमकेवीवाई **4.0** के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की समयसीमा और तैयारियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि अगले चार वर्षों **(2022-26)** के लिए पीएमकेवीवाई योजना को जारी रखने के लिए ईएफसी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) को प्रस्तुत किया गया है। सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

> "सर, हमारी ईएफसी की मीटिंग **25** तारीख को है। उसके तुरंत बाद कैबिनेट नोट हो जाएगा। हमें लगता है कि अगस्त या मिड सितंबर तक यह हो जाना चाहिए, लेकिन तब तक हम पुरानी स्कीम की थोड़ी-थोड़ी चीजें आगे लेकर जा रहे हैं।"

68. योजना के संस्करण **4.0** की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बताया**:-**

> "एमएसडीई निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ पीएमकेवीवाई **4.0** का शुभारंभ करने की प्रक्रिया में है:
>
> - उम्मीदवार केंद्रित कार्यक्रम।
> - उद्योग/नियोक्ता क्रय- विक्रय और कौशल के लिए योगदान।
> - अल्पावधि प्रशिक्षण में जॉब प्रशिक्षण और रोजगारपरक कौशल को शामिल करना।
> - पुन:-कौशलीकरण, कौशल उन्नयन और आरपीएल पर बल।
> - प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का राष्ट्रीय पूल।
> - कुछ पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए डिजिटल/मिश्रित प्रणाली।
> - पारंपरिक और अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध क्षेत्र, हस्तशिल्प, इत्यादि) की आवश्यकता का समाधान करना।"

69. जहां तक योजना के पिछले संस्करणों से प्राप्त शिक्षाओं को शामिल करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों का संबंध है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया**:-**

> **"**अंत में हम कहना चाहते हैं कि इन सब अनुभवों के आधार पर हम पीएमकेवीवाई **4** को डिजाइन कर रहे हैं और उसको ला रहे हैं। उसमें हमारा फोकस इस बात पर होगा कि स्किलिंग का पूरा प्रयास कैंडिडेट्स सैंट्रिक हो। वह

सीमलेस इनट्यूटिव और यूजर फ्रेंडली हो, ताकि कैंडिडेट के एडमिशन से लेकर उसके सर्टिफिकेशन का सारा चीज एक डिजिटल इको सिस्टम पर एवेलेबल हो। इवेन उसका ट्रैकिंग भी एवेलेबल हो। इस बार हम इडस्ट्री को काफी इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाई इन एंड कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का रहेगा। इंडस्ट्रीज खुद प्रोग्राम भी स्पांसर करेंगी। उनके इंडस्ट्रियल क्लस्टर में हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। इस बार हमारा जोर इंडस्ट्री से इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा। यह भी देखा गया है कि केवल क्लासरूम ट्रेनिंग से उतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए, इस बार हमारा फोकस ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होगा। इस बार हमारा जोर रहेगा कि उनको फील्ड में और इंडस्ट्री में ले जाकर जो क्लासरूम में सिखाया गया है, वह प्रैक्टिकली कराया जाए।”

<u>**भाग 2**</u>

<u>**टिप्पणियां सिफारिश**</u>

<u>**पीएमकेवीवाई के अंतर्गत क्रमिक परिवर्तन**</u>

1. समिति पाती है कि पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 से प्राप्त सीखो/अनुभव को शामिल करके पीएमकेवीवाई 3.0 योजना के तीसरे पुन:संरचित संस्करण का शुभारंभ 15 जनवरी, 2021 को किया गया था। पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत लाए गए मुख्य परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति प्रेरित दृष्टिकोण से मांग प्रेरित दृष्टिकोण में स्थानांतरण, जिला कौशल समितियों (डीएससी) और राज्य कौशल विकास मिशनों (एस एस डी एम) की भूमिका को बढ़ाना, राज्य घटक में आरपीएल को लाना, प्रशिक्षण के ऑनलाइन/मिश्रित प्रारूप को शुरू करना, आदि शामिल हैं। समिति का सुविचारित मत है कि शुरू किए गए उपाय सही दिशा में है और स्थानीय जॉब के साथ स्थानीय कौशल का विकल्प चुनने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करके कौशल विकास के लिए मांग प्रेरित आधारभूत दृष्टिकोण के साथ पीएमकेवीवाई 3.0 की पुन:संरचना करने में मंत्रालय के प्रयास की सराहना करती है। तथापि समिति यह देखकर बहुत ही चिंतित है इसके 3.0 संस्करण में योजना की पुनःसंरचना के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे प्लेसमेंट के खराब आंकड़े, आवंटित निधियों के कम उपयोग जिसने पीएमकेवीवाई 2.0 के निष्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया था वही स्थिति पीएमकेवीवाई 3.0 में भी बनी रही है। समिति नोट करती है कि पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 3,99,860 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से केवल 30,599 अभ्यर्थियों के नौकरी प्राप्त करने की सूचना है। इसी तरह वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में जारी किए गए 686.02 करोड़ राशि की तुलना में निधि का वास्तविक उपयोग 30 जून, 2022 तक मात्र 294.98 करोड़ रुपए है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रशिक्षण प्रदान करने और अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देने के का उद्देश्य विफल हो जाता है जब उनके नौकरी प्राप्त करने के आंकड़े बहुत कम हो। इसी तरह निधियों का

अति कम उपयोग ऐसी महत्वपूर्ण योजना के उद्देश्य का अवमूल्यन करते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मंत्रालय को योजना की बाधाओं को दूर करने के लिए गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित/प्रमाणित अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट / स्वरोजगार का लाभ उठाया जा सके और निर्धारित निधि का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

<u>2021-22 के दौरान निधि का आवंटन और उपयोग</u>

2. समिति चिंता के साथ यह बात नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएमकेवीवाइ 3.0 के अंतर्गत 1438 करोड़ रुपए की आवंटित राशि की तुलना में वास्तविक व्यय मात्र 1043.21 करोड़ रुपए हुआ। मंत्रालय ने इसका कारण यह बताया कि कोविड-19 के कारण प्रतिबंध लगाए गए, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 योजना के परिचालन निलंबित रखा गया जिससे अभ्यर्थियों के नामांकन और प्रमाणन की संख्या में काफी कमी आई जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान नए बैच/अभ्यर्थियों के लिए निधि का वितरण और उपयोग कम हुआ। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने बताया है कि वह कई कदम उठा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, जारी की गई निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यापक नीतिगत निर्देश के माध्यम से तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन, अर्ध शासकीय पत्रों, कार्यालय ज्ञापानों के माध्यम से नियमित पत्राचार और अनुवर्ती कार्रवाई आदि शामिल हैं ताकि निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो सके। शुरू किए गए उपायों पर ध्यान देते हुए समिति चाहती है कि नियमित निगरानी और सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई पर जोर देते हुए सघनीभूत प्रयास किए जाए ताकि पीएमकेवीवाई 3.0 और पीएमकेवीवाई 4.0 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए निर्धारित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

<u>प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्लेसमेंट</u>

3. समिति काफी दुखी होकर यह नोट करती है कि पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत 91,38,665 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से केवल 21,32,715 अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट होने की सूचना है और पीएमकेवीवाई 3.0 के मामले में 3,99,860 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से केवल 30,599 अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट होने की सूचना है। अनुदानों की मांगे (2022-23) संबंधी अपने 32वें प्रतिवेदन में पीएमकेवीवाई 2.0 के निष्पादन की जांच करते समय समिति ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण/प्रमाणन के साथ उनके प्लेसमेंट पर समान रूप से ध्यान देने की जरूरत है और प्रशिक्षित तथा प्रमाणित अभ्यर्थियों तथा प्लेसमेंट पाए अभ्यर्थियों के बीच काफी अंतर को कम करने के लिए नवीन कदम उठाए जाएं। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्लेसमेंट के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत नामांकन की अंतिम 31 मार्च, 2022 है और प्रशिक्षण का कार्यान्वयन अभी तक चल रहा है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कुछ मूल्यांकन और प्रमाणन जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही यह कार्य पूरे हो जाएंगे पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत प्लेसमेंट बढ़ने की उम्मीद है। समिति का दृढ़ मत है कि योजना की सफलता के मापने का वास्तविक माध्यम प्लेसमेंट के आंकड़े हैं और यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि मंत्रालय को सभी हितधारकों के साथ मिलकर और ज्यादा समेकित प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमाणित अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट सराहनीय सीमा तक बढ़ सके। समिति मंत्रालय से यह आग्रह भी करती है कि वह प्रमाणन प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करें ताकि कौशल प्राप्त अभ्यर्थियों को उचित मजदूरी दिलाना सुनिश्चित करने के अलावा स्वरोजगार मे ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकें।

4. समिति सीएसएसएम घटक के तहत प्लेसमेंट के आंकड़े को लेकर विशेष रूप से चिंतित है जिसने पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत सुधार नहीं किया है। इसे स्पष्ट

करने के लिए यह बताया जा सकता है कि सी एस एस एम के तहत 97288 प्रमाण अभ्यर्थियों में से केवल 7956 अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट प्राप्त करने की सूचना है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत परिकल्पित परिवर्तन यह था कि जिला और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण किया जाए। प्लेसमेंट पाए अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर समिति पाती है कि इन परिवर्तनों ने रोजगार सृजन इच्छित प्रभाव नहीं डाला है तथापि मंत्रालय रोजगार मेलों/कौशल मेलों का आयोजन; एएसईईएम पोर्टल का विकास तथा अन्य जॉब संग्रहकर्ता पोर्टलों एवं उद्यमशीलता सहायता एजेंसियों के साथ संबंध; शिक्षुता संवर्धन कार्यक्रम और रक्षित प्लेसमेंट अवसरों के साथ विशेष परियोजनाएं शुरू करने आदि के द्वारा प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों को सहायता कर रही है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह राज्यों तथा अन्य हितधारकों की सहायता करने के प्रयास को और सघनीभूत करें ताकि प्रशिक्षित/प्रमाणित अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट/स्वरोजगार को काफी सीमा तक बढ़ाया जा सके।

5. समिति नोट करती है कि आत्मनिर्भर कौशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग (असीम) की परिकल्पना और संकल्पना एक सहयोगी प्लेटफार्म के माध्यम से कौशल प्राप्त कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने के लिए किया गया था। असीम कुशल कार्यबल के निदेशिका के रूप में कार्य करता है। समिति पाती है कि इसका उद्देश्य एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर सके जिसके द्वारा बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त हो सके। मंत्रालय के अनुसार असीम पोर्टल के माध्यम से 350 से ज्यादा नियोक्ताओं ने लगभग 29 लाख कुशल अभ्यर्थियों/नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों का पता लगाया और लगभग 56000 अभ्यर्थियों के सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करने की सूचना है। तथापि समिति महसूस करती है कि पोर्टल संतोषजनक नहीं है क्योंकि पंजीकृत अभ्यर्थियों और वास्तव में सुनिश्चित रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बहुत अंतर है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास करें ताकि

पोर्टल पर पंजीकृत सभी सेक्टरों के नियोक्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुशल अभ्यर्थियों को काम पर रखने/रोजगार देने के उद्देश्य के लिए पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

<u>सी एस एस एम संघटक के अंतर्गत कार्य निष्पादन</u>

6. समिति योजना के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित संघटक के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों के खराब कार्यनिष्पादन को काफी गंभीरता के साथ नोट करती है। मंत्रालय के अनुसार योजना के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा बताई गई प्रमुख चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के खजाने से संबंधित एसएसडीएम/विभागों को निधि जारी करने में विलंब; सम्यक योग्यता मानदंड वाले प्रशिक्षणार्थियों की अनुपलब्धता; राज्य में कम औद्योगिकीकरण के कारण प्लेसमेंट भागीदारों की सीमित संख्या या अनुपलब्धता; एसएससी और टीपी को भुगतान में विलंब; आदि शामिल हैं। मंत्रालय परामर्श बैठकों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों, फीडबैक प्राप्त करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें तकनीकी सहायता देती है। यह भी सूचना है कि मंत्रालय एसएसडीएम अधिकारियों के क्षमता निर्माण ने सहायता, प्रशिक्षण भागीदारों की पहचान करने में सहायता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एसएसडीएम के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तथा राज्यों द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के अनुपालन नहीं करने से संबंधित मामले उठा रही है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि अपने प्रयासों को और तीव्र करें तथा समय पर और नियमित अंतक्षेपों के माध्यम से राज्यों के कार्य निष्पादन की निकट से निगरानी करें ताकि राज्यों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सहायता की जा सके।

7. समिति नोट करती है कि 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीएसएसएम संघटक के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली

कार्यरत है। उदाहरण के लिए कुछ दक्षिणी और पहाड़ी राज्यों, अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों और असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सीएसएसएम घटक के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली कार्यरत नहीं है। चूंकि कार्यरत ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली योजना के क्रियान्वयन में बहुत ही लाभ प्रदान करती है और साथ ही सहायता देने और अवरोधों को दूर करने में केंद्र सरकार के साथ बेहतर संबंध स्थापित करती है, इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ मिलकर कार्य करें ताकि योजना के विवेकपूर्ण क्रियान्वयन के लिए वहां ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा सके।

राज्य/जिला स्तरीय जिम्मेदारी

8. समिति नोट करती है कि पीएमकेवीवाई 3.0 में जिला कौशल समितियों (डीएससी) का गठन योजना के विकेंद्रीकरण और बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया था। बजटीय सहायता देने के अतिरिक्त मंत्रालय राज्य प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) के मासिक/साप्ताहिक समीक्षा कार्यशालाओं/बैठकों, एसएसडीएम के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, डीएससी के लिए तकनीकी और सूचना सहायता हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट इंगेजमेंट अफसरों (एसईओ)/स्टेट इंगेजमेंट समन्वयको (एसईसी) की तैनाती के माध्यम से राज्यों को सहायता भी दे रहा है। व्यापक जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) बनाने के लिए डीएससी को सहायता देने और उसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने डिसपैक (जिला कौशल आयोजना सहायता किट) का भी विकास किया है। मंत्रालय के अनुसार इस एप्लीकेशन को दो चरणों में चरणबद्ध तरीके से तैनात किए जाने की योजना है। वर्तमान में पंजीकरण मॉड्यूल चालू है और अब तक 673 जिलों को पंजीकृत किया गया है। पहला चरण 25.7.2022 को चालू किया गया है परन्तु दूसरें चरण का विकास किया जा रहा है। समिति मंत्रालय से दूसरे चरण के परिचालन में तीव्रता लाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि सभी जिले एप्लीकेशन पर आ जाएं ताकि वे विशिष्ट समय सीमा के अंदर अपना विस्तृत डीएसडीपी प्रस्तुत कर सकें। समिति मंत्रालय से यह भी चाहती है कि योजना के समन्वय, निगरानी

और क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए आईसीटी टूल्स का व्यापक उपयोग हो, विशेषकर जब इसे जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया है।

<u>उद्योगों द्वारा बताई गई चुनौतियां</u>

9. समिति नोट करती है कि उद्योग भागीदारों/हितधारकों ने संबंधित जॉब के कार्य में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने में कई प्रकार की बाधाएं बताई हैं। मंत्रालय के अनुसार उद्योग भागीदारों ने सूचित किया है कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं और पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के अंतर्गत दिया गया व्यावहारिक कौशल उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। अभ्यर्थी के प्लेसमेंट के ब्यौरा की रिपोर्ट करने की की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापक प्रयास करने की जरूरत है। मंत्रालय इस मुद्दे के समाधान के लिए कई उपाय कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ प्रशिक्षण अवसंरचना में सहयोग करना और कौशल में योगदान, साथ ही प्रशिक्षण अवसंरचना मांग का सर्मथन, रोजगार करते हुए प्रशिक्षण देना (ओजेटी) के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करना; उद्योग, सरकारी मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी से पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यचर्चा में लचीलापन लाना और; प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए शिक्षुता अवसरों में वृद्धि करना शामिल है। समिति उद्योग/नियोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना चाहेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण का रोजगार अवसरों के सृजन के माध्यम से लाभपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें क्योंकि उद्योगों के सक्रिय भागीदारी और उत्साह से ही योजना के इच्छित प्रभाव सामने आ सकेंगे। समिति चाहती है कि मंत्रालय नियमित परामर्श के माध्यम से उद्योग की जरूरतों के लिए अपने प्रयास करना जारी रखे और उद्योग

की चिंता को दूर करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए ताकि प्रशिक्षित/प्रमाणित अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट अधिकतम संख्या में हो सके।

<u>ड्रॉपआउट</u>

10. समिति यह नोट करके काफी चिंतित है पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0 के कार्यान्वयन के दौरान, कुल नामांकित अभ्यर्थियों में से लगभग 20% अभ्यर्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा की गई इस योजना की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पाठ्यक्रमों को बीच में छोड़ने के अभिज्ञात कारण चिकित्सा संबंधी कार्य, पारिवारिक मुददें, सामाजिक समस्या, निवास स्थान से प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी, विवाहित होने से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और तत्संबंधी आजीविका की मांग, नौकरी की सुलभता, और कौशल से कोई सुधार नहीं होना आदि हैं। कई महिला अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर गर्भावस्था, विवाह और पाठ्यक्रमों की छोटी अवधि के कारण पाठ्यक्रम छोड़ दिया। समिति मंत्रालय के इस मत से सहमत है कि वे उन सभी कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जिनके कारण अभ्यर्थी बीच में प्रशिक्षण छोड़ देते हैं। ऐसे परिदृश्य में समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए जहां वह प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है और ड्रॉपआउट को रोकने में सहायता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अभ्यर्थियों के ड्रॉपआउट के कुछ कारण जैसे निवास स्थान से प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की छोटी अवधि और नौकरी की सुलभता ऐसे कारक हैं जिन्हें मंत्रालय दूर कर सकता है। महिला ड्रॉपआउट के मामले में, समिति का सुझाव है कि मंत्रालय कौशल के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल कर सकता है और गर्भावस्था के कारण ड्रॉपआउट करने वाली महिला सदस्यों को प्रसव के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रशिक्षण पुनः शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

<u>प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)</u>

11. समिति नोट करती है कि आबंटित 818 पीएमकेके में से 30.06.2022 तक केवल 722 पीएमकेके स्थापित किए गए थे। मंत्रालय के अनुसार, स्थापित नहीं किए गए 96 पीएमकेके में से 58 पीएमकेके को परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण वापस कर दिया गया है। शेष 38 पीएमकेके जो अनुमोदित हैं और जिन्हें अभी स्थापित किया जाना है, उनमें से 15 पीएमकेके वर्ष 2022 में नए आवंटित केंद्र हैं और उनकी स्थापना प्रगति पर है। शेष 23 पीएमकेके की स्थापना उपयुक्त अवसंरचना की अनुपलब्धता, कोविड आधारित प्रचालनात्मक और वित्तीय चुनौतियों आदि जैसे विभिन्न कारणों से भागीदारों द्वारा नहीं की गई है। भागीदारों को पीएमकेके के लिए उपयुक्त स्थान के चयन, परिसंपत्तियों के उच्च किराये आदि संबंधी होने वाली चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, एमएसडीई पीएमकेके के दिशानिर्देशों को संशोधित कर रही है, जिसके अनुसार जिन जिलों/पीसी से पीएमकेके को वापस कर दिया गया है, उन्हें या तो नए भागीदारों को फिर से आवंटित किया जाएगा या इनमें से कुछ स्थानों पर एनएसडीसी के स्वामित्व वाले पीएमकेके स्थापित किए जाएंगे। समिति चाहती है कि संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और पुनर्आवंटन की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाए ताकि लक्षित पीएमकेके की स्थापना सुनिश्चित की जा सके और उनके निहितार्थ और उद्देश्य को प्राप्त किए जा सके।

<u>कौशल और रोजगार मेला</u>

12. समिति नोट करती है कि मंत्रालय कौशल और रोजगार मेलों का आयोजन करके युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहता है। कौशल मेला एक शिविर-आधारित प्रयास है, जिसका उपयोग उम्मीदवारों को एकत्रित करने, जागरूकता पैदा करने और उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामांकित करने के लिए किया जाता है, जबकि रोजगार मेला नौकरी नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों

की मिलन के लिए रोजगार रणनीति का हिस्सा है। मंत्रालय के अनुसार, कौशल और रोजगार मेला का प्रचार करने के लिए नियमित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों का उपयोग किया गया है। समिति ने पाया कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लगभग 1,669 कौशल मेलों और 1,577 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। समिति चाहती है कि मेलों के आयोजन के लिए प्रचार को, विशेषरूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ाया जाए और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को इसका कवरेज और विश्वास बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा, कौशल और रोजगार मेलों को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय त्योहारों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि भागीदारी की दर बढ़ायी जा सके।

13. समिति पाती है कि आयोजित किए गये 1,577 रोजगार मेलों में भाग लेने वाले नियोक्ताओं द्वारा 2,57,767 उम्मीदवारों को लघुसूचीयन किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक रोजगार मेले में 163 उम्मीदवारों को लघुसूचीयन किया गया। समिति का सुविचारित मत है कि उद्योगों/प्रतिष्ठानों और अन्य नियोक्ताओं को ऐसे मेलों में भाग लेने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार पाने वालों अभ्यर्थियों की संख्या में काफी वृद्धि की जा सकती है। चूंकि ग्रामीण/दूर-दराज से आने वालों उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने मे चूँकि रोजगार मेलें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए समिति मंत्रालय और हितधारकों से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने की सुझाव देती है।

<u>समामेलन</u>

14. समिति नोट करती है कि अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने क्षेत्र विनियम एनसीवीईटी, सामान्य मानदंड, एनएसक्यूएफ अनुरूप पाठ्यक्रम, क्वालिफिकेशन पैक, विषय सामग्री और पाठ्यक्रम, प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया, अवार्डिंग निकाय के रूप में क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) आदि के सन्दर्भ में एक

मानक इकोसिस्टम बनाया है। कौशल विकास के लिए एक मानकीकृत परितंत्र का निर्माण किया है। कौशल विकास का कार्य करने वाले सभी मंत्रालय और राज्य अपनी योजनाओं के लिए मानकों और बेंचमार्क का उपयोग कर सकते हैं। इसके स्किल इंडिया पोर्टल का विकास किया गया है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अपनी संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, 10 राज्यों की 25 योजनाओं और 15 मंत्रालयों की 18 योजनाओं को कौशल विकास पोर्टल के साथ समेकित किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसको मिलाये जाने से दोहरा प्रयास रुकेगा और धन कि बर्बादी कम होगी तथा भविष्य में निति निर्णय के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि डालने हेतु एक व्यापक डाटाबेस प्राप्त होगा, समिति मंत्रालय से राज्यों, डीएससी और अन्य मंत्रालयों/विभागों को एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाये जाने कि प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करती है और स्थापित पोर्टलों का सक्रिय उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

15. मंत्रालय के अनुसार 37 क्षेत्र कौशल परिषदों(एसएससी) में से 18 क्षेत्र कौशल परिषद स्किल गैप स्टडी को पूर्ण कर चुकी हैं और अन्य एसएससी अध्ययन पूरा करने की प्रक्रिया में है। स्किल गैप स्टडीज ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां काम के लिए उपलब्ध कुशल उम्मीदवारों की उपलब्धता में कमी है। समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल ने अपने स्किल गैप स्टडी के आधार पर वर्ष 2019-26 की अवधि के लिए 294.10 कुशल लोगों कि कमी बताई है। समिति की राय है कि स्किल गैप स्टडी के निष्कर्षों को मंत्रालय के प्रयास को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए और मंत्रालय को पीएमकेवीवाई के ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए ताकि कुशल उम्मीदवारों की भारी कमी को दूर किया जा सके। यह भी उचित होगा कि ऑटोमोटिव क्षेत्र की कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की विशेष परियोजनाओं में विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके।

<u>क्षमता वृद्धि</u>

16. समिति पाती है कि प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए एनएसडीसी 37 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) के माध्यम से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में प्रचालनात्मक सुगमता को बढ़ाते और प्रशिक्षकों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सूचना संबंधी विसंगतियों को दूर करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह योजना के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में दिए जाने वाले शिक्षण/प्रशिक्षण के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, प्रशिक्षकों के पूल को और बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए, स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) पर भी सीआईटीएस प्रशिक्षकों को पंजीकृत किया गया है / जोड़ा गया है और आज की तिथि तक 65,000 से अधिक प्रशिक्षक एसआईपी पर पंजीकृत हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षक/प्रशिक्षक इस योजना के अंतर्गत वांछित परिणामों की प्रप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक हैं और शिक्षकों/प्रशिक्षकों की गुणवत्ता का उम्मीदवारों की दक्षता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपाय करने की सिफारिश करती है कि प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं को उच्चतम मानक का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इसके परिणामस्वरूप कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी गुणवत्ता का प्रशिक्षण वे अपने प्रशिक्षुओं को दे सकें। समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि मंत्रालय राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों के केन्द्रीय पूल के सृजन में तेजी लाए।

<u>पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए तैयारी</u>

17. समिति नोट करती है कि मंत्रालय योजना के चौथे संस्करण अर्थात् पीएमकेवीवाई 4.0 को शुरू करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए पीएमकेवीवाई योजना को अगले चार वर्षों (2022-26) के लिए जारी रखने के हेतु ईएफसी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि पीएमकेवीवाई 4.0 के दौरान, यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि कौशल का पूरा प्रयास उम्मीदवार-केंद्रित, निर्बाध, सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो, ताकि उम्मीदवार के प्रवेश से लेकर उसके प्रमाणीकरण तक सब कुछ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर उपलब्ध हो। चूंकि योजना के नए संस्करण का अंतिम उद्देश्य अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करना होना चाहिए, इसलिए समिति मंत्रालय से पूर्व संस्करणों के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई कमियों / बाधाओं को दूर करने का आग्रह करती है ताकि पीएमकेवीवाई 4.0 का प्रभावी और निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

नई दिल्ली;	**भर्तृहरि महताब,**
<u>25 अगस्त, 2022</u>	**सभापति,**
3 भाद्रपद, 1944 (शक)	**श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी**
	स्थायी समिति